इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47] भोपाल, शनिवार, दिनांक 5 फरवरी 2011—माघ 16, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

कार्यालय, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश

मोतीमहल, ग्वालियर

देशी / विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन की व्यवस्था वर्ष 2011-12

ग्वालियर, दिनांक 5 फरवरी 2011

क्रमांक सात/ठेका/2011—12/**216** सर्वसाधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिए राज्य शासन के आदेशानुसार यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि संपूर्ण मध्यप्रदेश में वर्ष 2011—12 अर्थात दिनांक 1 अप्रैल 2011 से दिनांक 31 मार्च 2012 तक की अवधि के लिए, निम्न शर्तों एवं प्रक्रिया के अधीन वर्तमान में संचालित विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन तथा बीयर) एवं देशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का आरक्षित मूल्य निर्धारित किया जाकर पृथक—पृथक/एकल समूहों में निष्पादन किया जावेगा। मदिरा दुकानों/एकल समूहों का निष्पादन, प्रथमतः **दिनांक 17 फरवरी, 2011, दिन गुरूवार** तक वर्तमान अनुज्ञप्तिधारियों से आवेदन पत्र प्राप्त किये जाकर, पात्र आवेदकों के हित में नवीनीकरण के माध्यम से किया जायेगा। नवीनीकरण के पश्चात शेष बची विदेशी मदिरा तथा देशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों/एकल समूहों का निवर्तन/निष्पादन टेंडर आमंत्रित कर, संबंधित जिलों के कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित, जिला समिति द्वारा निम्नांकित **परिशिष्ट "क"** में दर्शाए स्थलों पर **दिनांक 01 मार्च, 2011 दिन मंगलवार को** किया जायेगा। देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन के लिए प्रत्येक जिले में गठित समिति निम्नानुसार होगी :—

1—	कलेक्टर	अध्यक्ष
2—	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3—	संबंधित संभाग के उपायुक्त आबकारी	सदस्य
4—	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिला पंचायत)	सदस्य
5—	सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी	सदस्य सचिव

वर्ष 2011—12 के लिये जिला समिति का स्वरूप एवं कार्य, वर्ष 2010—11 अनुसार रहेगा। यह समिति आबकारी आयुक्त के सामान्य पर्यवेक्षण के अध्यधीन कार्य संपादन करेगी।

दुकानों/एकल समूहों के निष्पादन की मुख्य शर्तें/निर्बन्धन

1. मदिरा दुकानों को बन्द किया जानाः—

इन्दौर जिले की देशी मदिरा दुकान कालानी नगर को दिनांक 01.04.2011 से इस प्रतिबन्ध के अधीन बन्द किया जाता है कि उसके वर्ष 2010—11 के वार्षिक मूल्य रूपये 1,02,50,075/— को समूह की अन्य दो मदिरा दुकानों में जोड़ा जाकर, तद्नुसार आरक्षित मूल्य की गणना कर, एकल समूह का निष्पादन वर्ष 2011—12 के लिये किया जायेगा।

2. मदिरा दुकानों के नाम में परिवर्तन किया जाना :—

2.1 वर्तमान वर्ष 2010—11 में संचालित कतिपय देशी अथवा विदेशी मदिरा दुकानें, जिस नाम से स्वीकृत हैं, यदि वे उससे भिन्न नाम के स्थान पर संचालित हैं, तो ऐसी मदिरा दुकानों के पूर्व नाम को परिवर्तित कर, उसे वर्तमान स्थान पर ही, वर्तमान स्थान के नाम से संबंधित जिला समिति द्वारा वर्ष 2011—12 के लिए निष्पादित किया जा सकेगा। इस कार्यवाही में मदिरा दुकान का स्थान अपरिवर्तित रहेगा।

2.2 मदिरा दुकानों के नाम परिवर्तन के फलस्वरूप उन मदिरा दुकानों का आरक्षित मूल्य अपरिवर्तित रहेगा।

3. आरक्षित मूल्य का निर्धारण :—

वर्ष 2011—12 के लिए विदेशी मदिरा दुकानों का आरक्षित मूल्य उसके वर्ष 2010—11 के वार्षिक मूल्य में 20 प्रतिशत वृद्धि कर तथा देशी मदिरा दुकानों का आरक्षित मूल्य उसके वर्ष 2010—11 के वार्षिक मूल्य में 15 प्रतिशत वृद्धि कर निर्धारित किया जाएगा। इसके लिए,

3.1 जिला भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, खण्डवा, बैतूल, होशंगाबाद, छिन्दवाड़ा, बुरहानपुर एवं हरदा में वर्ष 2010—11 में संचालित सभी 16 ताड़ी दुकानें दिनांक 01.04.2011 से बन्द की जा रही है। सर्वप्रथम इन जिलों में संचालित ताड़ी दुकानों की वर्ष 2010—11 की वार्षिक लायसेंस फीस को उनकी समीपवर्ती एक अथवा अधिक देशी मदिरा दुकानों के वर्ष 2010—11 के वार्षिक मूल्य में जोड़कर ऐसी देशी मदिरा दुकानों के वर्ष 2010—11 के लिए वार्षिक मूल्य की गणना की जायेगी।

3.2 वर्ष 2010—11 में जिन एकल समूहों में स्थित देशी मदिरा दुकान से विदेशी मदिरा की दुकान में या विदेशी मदिरा दुकान से देशी मदिरा की दुकान में, वार्षिक लायसेंस फीस में समायोजन अनुमत किया गया है, तो ऐसा आदेश जारी किये जाने के दिनांक से उसे दिनांक 31 मार्च 2011 तक की अवधि के लिए समायोजन मानकर **(भले ही लायसेंसी द्वारा आदेश जारी किये जाने के उपरान्त समायोजन योग्य वार्षिक लायसेंस फीस के विरूद्ध मदिरा का प्रदाय लिया गया हो अथवा नहीं लिया गया हो)**, एकल समूहों में सम्मिलित देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा दुकानों का वर्ष 2010—11 के लिए वार्षिक मूल्य परिगणित किया जायेगा।

4. देशी/विदेशी मदिरा की एकल दुकानों के समूह का गठन अथवा पुर्नगठन :—

4.1 वर्ष 2010—11 में मदिरा दुकानों का निष्पादन एकल दुकान/एकल समूह में किया गया है। एकल समूह में एक बड़ी मदिरा दुकान के साथ निकटवर्ती क्षेत्र की एक या दो मदिरा दुकानें सम्मिलित हैं। वर्तमान वर्ष 2010—11 में संचालित मदिरा की वर्तमान एकल दुकान/एकल समूह नवीनीकरण की स्थिति में यथावत निष्पादन पर रखे जावेंगे। नवीनीकरण से शेष बची मदिरा दुकानों/एकल समूहों का वर्ष 2011—12 के लिए टेण्डर द्वारा निष्पादन किये जाने की स्थिति में, भौगोलिक क्षेत्र की निरंतरता के आधार पर आवश्यकता अनुसार अधिकतम तीन मदिरा दुकानों की सीमा के अधीन, नवीन एकल समूहों का गठन अथवा वर्तमान समूहों का पुर्नगठन संभाग के उपायुक्त आबकारी की सहमति एवं संबंधित जिले के नजरी नक्शे के आधार पर, लिये गये निर्णय अनुसार जिला समिति द्वारा किया जा सकेगा।

4.2 वर्ष 2011–12 के लिए यदि नियमानुसार जिले की दुकानें नवीनीकरण नहीं होती हैं तथा जिले की सम्पूर्ण दुकानों पर टेण्डर बुलाया जाता है, तो भौगोलिक क्षेत्र की निरंतरता के आधार पर आवश्यकता अनुसार अधिकतम तीन मदिरा दुकानों की सीमा के अधीन, जिले की समस्त एकल दुकानों/ एकल समूहों का पुर्नगठन संभाग के उपायुक्त आबकारी की सहमति एवं संबंधित जिले के नजरी नक्शे के आधार पर, लिये गये निर्णय अनुसार जिला समिति द्वारा किया जा सकेगा।

4.3 भौगोलिक क्षेत्र की निरंतरता के आधार पर आवश्यकता अनुसार अधिकतम तीन मदिरा दुकानों की सीमा के अधीन, नवीन एकल समूहों का गठन अथवा वर्तमान समूहों का पुर्नगठन इस प्रकार किया जायेगा कि समूह में यथासंभव एक विदेशी मदिरा रहे।

5. वार्षिक मूल्य, बेसिक लायसेंस फीस एवं वार्षिक लायसेंस फीस का निर्धारण :–

5.1 वर्ष 2011–12 के लिए नवीनीकरण के माध्यम से निष्पादित की गयी मदिरा दुकान/ एकल समूह का आरक्षित मूल्य ही उसका वार्षिक मूल्य होगा।

5.2 वर्ष 2011–12 के लिए टेण्डर द्वारा निष्पादन की स्थिति में टेण्डर में प्राप्त एवं स्वीकृत उच्चत्म ऑफर की राशि उस मदिरा दुकान/एकल समूह का वर्ष 2011–12 का वार्षिक मूल्य होगा।

5.3 वर्ष 2011–12 के लिये बेसिक लायसेंस फीस भोपाल, इन्दौर, जबलपुर एवं ग्वालियर नगर निगम क्षेत्र में स्थित मदिरा दुकानों/एकल समूह के वार्षिक मूल्य का 60 प्रतिशत, अन्य नगर निगम व नगर पालिका क्षेत्र में स्थित मदिरा दुकानों/एकल समूह के वार्षिक मूल्य का 55 प्रतिशत तथा नगर पंचायत व ग्रामीण क्षेत्र में स्थित मदिरा दुकानों/एकल समूह के वार्षिक मूल्य का 50 प्रतिशत होगी। अनुज्ञप्तिधारक (लायसेंसी) को बेसिक लायसेंस फीस के विरूद्ध मदिरा प्रदाय की पात्रता नहीं होगी।

5.4 वार्षिक मूल्य में से बेसिक लायसेंस फीस कम किये जाने पर, अवशेष कुल राशि संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह की वार्षिक लायसेंस फीस रहेगी। जिसके विरूद्ध अनुज्ञप्तिधारक (लायसेंसी) को मदिरा प्रदाय की पात्रता होगी।

6. धरोहर राशि :–

वर्ष 2011–12 के लिए संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह के निर्धारित आरक्षित मूल्य की 8 प्रतिशत राशि धरोहर राशि के रूप में नियत की जाएगी। नवीनीकरण के प्रकरणों में यह राशि पूर्वानुसार चार किश्तों में जमा की जाएगी। टेण्डर की स्थिति में टेण्डरदाता द्वारा यह राशि उसके ऑफर के साथ जमा की जाएगी। सफल टेण्डरदाता की यह राशि, उसकी देय बेसिक लायसेंस फीस के विरूद्ध समायोजन योग्य होगी। जबकि असफल टेण्डरदाता को यह राशि वापसी योग्य होगी।

7. प्रतिभूति राशि :–

वर्ष 2011–12 के लिए प्रतिभूति राशि संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह के वार्षिक मूल्य का 12 प्रतिशत होगी।

8. मदिरा दुकानों का स्वरूप :–

वर्ष 2011–12 में देशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का अनुज्ञप्तिधारी केवल देशी मदिरा तथा विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का अनुज्ञप्तिधारी केवल विदेश में निर्मित एवं मूल में बोतल बंद (**Bottled in Origin**) आयातित विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन एवं बीयर) एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन, बीयर एवं ड्राफ्ट बीयर) का ही विक्रय कर सकेगा।

9. नवीनीकरण आवेदन पत्र/टेण्डर प्रपत्र का मूल्य :–

वर्ष 2011–12 के लिए नवीनीकरण/टेण्डर द्वारा निष्पादित की जाने वाली मदिरा दुकानों के लिए आवेदन पत्र/टेण्डर प्रपत्र का मूल्य पूर्वानुसार इन्दौर, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर नगर निगम क्षेत्र में स्थित प्रत्येक मदिरा दुकान के लिए रुपये 8000/–, इन्दौर, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर

नगर निगम क्षेत्र को छोड़कर, अन्य नगर निगम क्षेत्र में स्थित प्रत्येक मदिरा दुकान के लिए रुपये 6000/–, नगर पालिका क्षेत्र में स्थित प्रत्येक मदिरा दुकान के लिए रुपये 5000/–, नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित प्रत्येक मदिरा दुकान के लिए रुपये 4000/– तथा ग्रामीण क्षेत्र में स्थित प्रत्येक मदिरा दुकान के लिए रुपये 3000/– निर्धारित किया गया है।

10. मदिरा दुकानों का नवीनीकरण :–

वर्तमान लायसेंसी को वर्ष 2011–12 के लिए अपनी एकल दुकान/एकल समूह के लायसेंस नवीनीकरण की पात्रता होगी। राजस्व हित में उन्हीं जिलों में मदिरा दुकानों/एकल समूहों के नवीनीकरण के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार किया जायेगा, जिनमें समग्र में वर्ष 2010–11 हेतु निर्धारित वार्षिक मूल्य के राजस्व में निहित, कम से कम 80 प्रतिशत वार्षिक मूल्य की मदिरा दुकानों/एकल समूहों के लिये, नवीनीकरण आवेदन प्राप्त हुये हों। इससे कम वार्षिक मूल्य की मदिरा दुकानों/एकल समूहों के लिए नवीनीकरण आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, उस जिले में वर्तमान लायसेंसधारियों के लायसेंस का नवीनीकरण करने के स्थान पर, समस्त मदिरा दुकानों/एकल समूहों का निष्पादन, सील्ड टेण्डर आमंत्रित किये जाकर प्राप्त उच्चतग टेण्डर राशि (ऑफर) पर किया जाएगा। ऐसी स्थिति में नवीनीकरण हेतु जमा आवेदन पत्र का मूल्य वर्तमान लायसेंसी को उससे रसीद प्राप्त कर वापिस कर दिया जायेगा। नवीनीकरण द्वारा निष्पादन किये जाने की स्थिति में मदिरा दुकानों/एकल समूहों को वर्तमान में प्रचलित अनुसार यथावत निष्पादन पर रखा जायेगा। नवीनीकरण के संबंध में प्रभावशील शर्तें एवं व्यवस्था निम्नानुसार रहेंगी :–

10.1 वर्ष 2010–11 के ऐसे लायसेंसी, जिनके विरूद्ध माह जनवरी, 2011 द्वितीय पक्ष अंत तक देय, कोई लायसेंस फीस बकाया नहीं है तथा जिन्होंने वर्ष के दौरान कोई गंभीर अनियमितता नहीं की है, उन्हें मदिरा दुकान/एकल समूह के नवीनीकरण का आवेदन **दिनांक 17 फरवरी 2011 दिन गुरूवार, सायं 17.00 बजे तक** संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी को निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित प्रारूप का आवेदन पत्र, उपरोक्त **कण्डिका–9** में उल्लेखित नियत राशि के नगद अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में भुगतान योग्य, किसी भी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा पर देय, बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक अथवा बैंक कैश आर्डर द्वारा भुगतान किये जाने पर कार्यालयीन समय में संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से प्रदाय किया जायेगा। मदिरा दुकानों के एकल समूह के लिए आवेदन पत्र, एकल समूह में सम्मिलित मदिरा दुकानों की अवस्थिति के अनुरूप, उपरोक्तानुसार समेकित मूल्य के अग्रिम भुगतान पर प्रदाय किये जायेंगे।

10.2 उपरोक्तानुसार प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण, संबंधित जिले की जिला समिति द्वारा **दिनांक 18 फरवरी 2011 दिन शुक्रवार** को किया जाकर, पात्र आवेदकों को सम्बन्धित मदिरा दुकानों/एकल समूहों के वर्ष 2011–12 के लिए परिगणित आरक्षित मूल्य पर नवीनीकरण की अनुमति प्रदान की जाएगी। शेष बची हुई मदिरा दुकानों/एकल समूहों के सम्बन्ध में निष्पादन की कार्यवाही टेण्डर के माध्यम से की जायेगी।

10.3 मदिरा दुकान/एकल समूह के नवीनीकरण हेतु इच्छुक आवेदक की वर्ष 2010–11 की वार्षिक लायसेंस फीस की 12 प्रतिशत अग्रिम प्रतिभूति, वर्ष 2011–12 के लिए भी मान्य की जा सकेगी। ऐसी स्थिति में वर्ष 2011–12 के लिये प्राप्त वार्षिक मूल्य की 12 प्रतिशत अग्रिम प्रतिभूति की शेष राशि, (अन्तर की देय राशि) 15 मार्च, 2011 तक आवेदक/ लायसेंसी से अनिवार्यतः जमा कराई जायेगी।

10.4 नवीनीकरण हेतु इच्छुक लायसेंसी अपने आवेदन पत्र के साथ, निम्नलिखित जानकारी /अभिलेख भी प्रस्तुत करेंगे :—

(क) निर्धारित प्रारूप में नवीनीकरण का आवेदन पत्र ।

(ख) वर्ष 2010—11 के लिए प्रस्तुत 12 प्रतिशत की अग्रिम प्रतिभूति राशि दिनांक 30. 04.2012 तक के लिए जमा मान्य करने की सहमति। यदि 12 प्रतिशत अग्रिम प्रतिभूति राशि बैंक गारंटी के रूप में है तो, ऐसी बैंक गारंटी की वैधता अवधि में दिनांक 30.04. 2012 तक की वृद्धि किये जाने सम्बन्धी संबंधित बैंक का पत्र। {बैंक अपने पत्र में यह उल्लेखित एवं प्रमाणित करेगा कि प्रस्तुत बैंक गारन्टी वर्ष 2011—12 के संदर्भ में तथा वर्ष 2011—12 के दौरान लायसेंसी द्वारा की गई अनियमितताओं के लिए भी बंधनकारी होगी। बैंक द्वारा ऐसा पत्र रूपये 250/— मूल्य के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर तैयार कर जारी किया जायेगा।}

(ग) संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह की देय धरोहर राशि के 25 प्रतिशत के बराबर की राशि नगद या समतुल्य राशि का, संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त /जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में भुगतान योग्य, किसी भी राष्ट्रीयकृत/ अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा पर देय, बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक अथवा बैंक कैश आर्डर।

(घ) नवीनीकरण हेतु इच्छुक वर्तमान लायसेंसी/आवेदक को, वर्ष 2011—12 के लिये देय धरोहर राशि की अवशेष 75 प्रतिशत राशि में से 25 प्रतिशत राशि दिनांक 01 मार्च 2011 तक, 25 प्रतिशत राशि दिनांक 10 मार्च 2011 तक तथा शेष 25 प्रतिशत राशि दिनांक 18 मार्च 2011 तक जमा करना होगी। तद्नुसार आवेदक इस आशय का नोटराइज्ड शपथपत्र भी संलग्न प्रस्तुत करेगा कि :—

(1) आवेदक वर्ष 2011—12 की देय लायसेंस फीस यथा समय जमा करेगा।

(2) यदि आवेदक, अवशेष 75 प्रतिशत धरोहर राशि में से, 25 प्रतिशत राशि दिनांक 01 मार्च 2011 तक, 25 प्रतिशत राशि दिनांक 08 मार्च 2011 तक तथा शेष 25 प्रतिशत राशि दिनांक 15 मार्च 2011 तक जमा नहीं करता है तो, उपरोक्तानुसार किसी भी किश्त के जमा न होने पर तथा/अथवा देय 12 प्रतिशत अग्रिम प्रतिभूति की शेष राशि 15 मार्च 2011 तक जमा नहीं करता है, तो उसके द्वारा वर्ष 2010—11 के लिए पूर्व में जमा 12 प्रतिशत की प्रतिभूति राशि अथवा उसकी बैंक गारंटी तथा वर्ष 2011—12 के लिए जमा धरोहर राशि एवं अन्य कोई जमा राशि राजसात कर ली जाए तथा उसकी मदिरा दुकान/एकल समूह का वर्ष 2011—12 के लिए सार्वजनिक रूप से निष्पादन कर दिया जाए। इस निष्पादन के फलस्वरूप यदि शासन को कम राशि का ऑफर प्राप्त होता है, तो अन्तर की खिसारा राशि आवेदक द्वारा देय होगी तथा यह राशि उससे भू—राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी। इसमें उसे कोई आपत्ति नहीं होगी।

(3) यदि किसी जिले में नवीनीकरण के लिये आवेदन—पत्र प्राप्त कर लेने के पश्चात यह परिलक्षित होता है कि उस जिले के 2010—11 हेतु निर्धारित वार्षिक मूल्य के 80 प्रतिशत से कम मूल्य की मदिरा दुकानों/एकल समूहों पर ही नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं, तब नवीनीकरण द्वारा निष्पादन की कार्यवाही के स्थान पर उस जिले की समस्त मदिरा दुकानों/ एकल समूहों का निष्पादन टेण्डर आमंत्रित कर, प्राप्त उच्चतम टेण्डर राशि पर किये जाने पर उसे कोई आपत्ति नहीं होगी।

. <u>नवीनीकरण के अभाव में अथवा नवीनीकरण से शेष मदिरा दुकानों का टेंडर द्वारा निष्पादन</u> :—

11.1 नवीनीकरण के अभाव में अथवा नवीनीकरण से शेष बची मदिरा दुकानों/एकल समूहों का निष्पादन, निर्धारित आरक्षित मूल्य पर सभी इच्छुक व्यवसाइयों से टेंडर आमंत्रित कर, दिनांक 01 मार्च, 2011 दिन मंगलवार को किया जाएगा। उच्चतम प्राप्त राशि का टेण्डर, यदि आरक्षित

मूल्य या उससे अधिक का होगा तो, जिला समिति द्वारा इस मदिरा दुकान/एकल समूह का निष्पादन कर दिया जाएगा। टेंडर में ऑफर के रूप में राशि अंकित करने संबंधी कोई अधिकतम सीमा नहीं रहेगी। यदि उच्चतम ऑफर आरक्षित मूल्य से कम का होगा तो, उसके संबंध में आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

11.2 इच्छुक व्यवसाइयों/व्यक्तियों द्वारा ऐसी दुकानों का विवरण, उनका स्थान (Location), आरक्षित मूल्य, धरोहर राशि, देशी अथवा विदेशी मदिरा की खपत आदि की जानकारी, संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से किसी भी दिन कार्यालयीन समय में **दिनांक 18 फरवरी 2011** के पश्चात् प्राप्त की जा सकती है।

12. <u>व्यक्ति जो टेण्डर देने से वर्जित होंगे</u> –

देशी तथा विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों/एकल समूहों के लिए ऐसे ही व्यक्ति टेण्डर प्रस्तुत कर सकेंगे, जो आबकारी लायसेंस प्राप्त करने की योग्यता रखते हों। निम्नलिखित व्यक्ति टेण्डर देने के लिए अयोग्य रहेंगे –

12.1 कोई भी व्यक्ति, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो।

12.2 कोई भी व्यक्ति जो स्वतः अथवा जमानतदार की हैसियत से शासन की आबकारी राशि, पॉपीस्ट्रा राजस्व की राशि तथा/अथवा मनोरंजन शुल्क की किसी प्रकार की राशि का बकायादार हो।

12.3 वर्ष 2010–11 की अवधि का अनुज्ञप्तिधारी, जिसके द्वारा उसके लायसेंस की माह फरवरी, 2011 के प्रथम पक्ष अंत तक की संपूर्ण देय लायसेंस फीस न पटाई गई हो।

12.4 कोई भी व्यक्ति, जो पहले लायसेंसी रहा हो और लायसेंसी की हैसियत से उसका आचरण, निष्पादन करने वाली जिला समिति के मत में संतोषजनक न रहा हो।

12.5 कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम विभाग की काली सूची में हो।

12.6 कोई भी व्यक्ति, जिसके बारे में निष्पादनकर्ता जिला समिति को यह विश्वास हो कि वह बुरे आचरण वाला है।

12.7 कोई भी व्यक्ति जो मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 या राजस्व संबंधी तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या इंडियन मर्केन्डाइज मार्कर्स अधिनियम 1899 (1899 का क्रमांक 4) या इस अधिनियम की धारा 3 द्वारा भारतीय दण्ड संहिता (1860 का क्रमांक 45) में पुनः स्थापित की गई धाराओं 478 से 489 के अधीन या औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, 1955 या नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस अधिनियम, 1985 अथवा इन अधिनियमों के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के गंभीर उल्लंघन करने का दोषी रहा हो और ऐसे अपराधों के लिए किसी दांडिक न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध ठहराया गया हो।

13. **धरोहर राशि एवं पोस्ट डेटेड चैक जमा कराया जाना** :–

13.1 प्रत्येक टेण्डरदाता द्वारा टेण्डर प्रपत्र के साथ मदिरा दुकान/एकल समूह की निर्धारित सम्पूर्ण धरोहर राशि नगद अथवा जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में भुगतान योग्य, किसी भी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा जारी बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कैश आर्डर के रूप में जमा करायी जायेगी। असफल टेण्डरदाता के द्वारा जमा की गई धरोहर राशि, रेवेन्यू स्टाम्प लगी रसीद प्राप्त कर उसे वापिस की जायेगी।

13.2 टेण्डरदाता द्वारा टेण्डर में अंकित अपने ऑफर के 1/12 भाग की समतुल्य राशि का संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के नाम 01.04.2011 की तारीख अंकित, किसी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अपने बचत/चालू खाते का पोस्टडेटेड चैक भी प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत करना होगा। यह

पोस्टडेटेड चैक टेण्डरदाता द्वारा टेण्डर प्रपत्र के **भाग–2** के लिफाफे मे रखा जायेगा। सफल टेण्डरदाता द्वारा प्रतिभूति राशि के जमा कर दिये जाने पर या असफल टेण्डरदाता होने की स्थिति में यह पोस्टडेटेड चैक वापिसी योग्य होगा।

14. <u>टेण्डर द्वारा मदिरा दुकानों/एकल समूहों का निष्पादन</u> :–

14.1 नवीनीकरण की कार्यवाही उपरान्त निष्पादन से शेष देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों/एकल समूहों के लायसेंस, **कण्डिका 50.3** में घोषित तिथि एवं समय अनुसार टेण्डर द्वारा निष्पादित/निवर्तित किये जायेंगे।

14.2 देशी मदिरा व विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की जिन दुकानों/एकल समूहों का निष्पादन टेण्डर द्वारा किया जाना है, की सूची, उनका स्थान, उनका आरक्षित मूल्य, जमा की जाने वाली धरोहर राशि, देशी एवं विदेशी मदिरा की खपत आदि की जानकारी (सेलपेपर), संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से अवकाश के दिनों को छोड़कर, कार्यालयीन समय में इच्छुक टेण्डरदाता को उपलब्ध कराई जायेगी।

14.3 विभाग द्वारा मुद्रित कराये गये निर्गत टेण्डर प्रपत्रों का विक्रय नगद अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में भुगतान योग्य किसी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा जारी बैंक ड्राफ्ट/बैंक कैश आर्डर/ बैंकर्स चैक के माध्यम से उपरोक्त **कण्डिका–9** में उल्लेखित एवं नियत राशि के भुगतान पर तथा <u>**कंडिका 50.1**</u> में घोषित समयावधि में विहित प्रक्रिया अनुसार किया जायेगा। मदिरा दुकानों के एकल समूह के लिए टेण्डर प्रपत्र एकल समूह में सम्मिलित मदिरा दुकानों की अवस्थिति के अनुरूप, उपरोक्तानुसार समेकित मूल्य के अग्रिम भुगतान पर प्रदाय किये जायेंगे। टेण्डर प्रपत्र के मूल्य की राशि की विहित प्रारूप में रसीद जारी की जायेगी। यही रसीद, निष्पादन स्थल पर उपस्थित रहने के लिए टेण्डरदाता के प्रवेश पत्र के रूप में मान्य की जायेगी।

14.4 मध्यप्रदेश राज्य के सभी जिलों में क्रमांकित टेण्डर प्रपत्र उपलब्ध रहेंगे। टेण्डर प्राप्त करने के लिए जमा की गई राशि की रसीद, संबंधित जिला आबकारी कार्यालय द्वारा जारी की जावेगी।

14.5 विभाग द्वारा मुद्रित कराये गये निर्गत टेण्डर प्रपत्र ही स्वीकार किये जायेंगे।

14.6 टेण्डरदाता द्वारा किसी भी मदिरा दुकान/एकल समूह के लिए प्रस्तुत किये गये अपने टेण्डर के साथ, अपनी पहचान एवं निवास स्थान के पते के सत्यापन हेतु निम्नांकित **कंडिका क्रमांक 17.1 एवं 17.2** में उल्लेखित दस्तावेजों में से कोई, एक–एक दस्तावेज की प्रमाणित फोटो प्रति, अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

14.7 एक व्यक्ति किसी मदिरा दुकान/एकल समूह के लिए एक ही टेण्डर प्रस्तुत कर सकेगा, परंतु एक व्यक्ति, कई मदिरा दुकानों/एकल समूहों के लिए अलग–अलग टेण्डर प्रस्तुत कर सकेगा।

टेण्डरदाता इस आशय का नोटराईज्ड शपथ पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि "उसे यह ज्ञात है कि उसे अनुज्ञापित मदिरा दुकान के लिए जिला समिति द्वारा घोषित निर्धारित क्षेत्र (Location) में आपत्तिरहित स्थल खोज कर वहां दुकान स्थापित व संचालित करने का दायित्व उसका स्वयं का है।"

14.8 निर्गत टेण्डर प्रपत्र दो भागों में होगा। **भाग–एक** में टेण्डरदाता को जमा की गयी धरोहर राशि का विवरण, सहमति करार, स्वयं की पहचान सुनिश्चित करने एवं निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण हेतु वांछित दस्तावेज, आयकर स्थायी लेखा संख्या (**PAN**) कार्ड की प्रमाणित एवं टेण्डरदाता द्वारा स्वप्रमाणित छायाप्रति एवं वर्तमान में धारित बैंक बचत/चालू खाते की पासबुक की प्रमाणित की गयी छायाप्रति को स्वप्रमाणित कर मूल नोटराइज्ड शपथपत्र एवं आवश्यक अन्य अभिलेखों को लिफाफे में बंद कर रखना अनिवार्य होगा। टेण्डरदाता भागीदार फर्म होने की दशा में फर्म के पंजीयन प्रमाण पत्र के साथ–साथ पार्टनरशिप–डीड एवं

रजिस्ट्रार फर्म्स एण्ड सोसायटी द्वारा जारी फर्म के रजिस्टर की नकल (एब्स्ट्रैक्ट) अनिवार्यतः प्रस्तुत करेगा। यदि टेण्डरदाता कंपनी की ओर से टेण्डर देना चाहता है, तो टेण्डर देने के पूर्व उसे संबंधित कंपनी का निगमन प्रमाण पत्र अथवा उसकी विधिवत अभिप्रमाणित प्रतिलिपि, कंपनी के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की मूल या प्रमाणित प्रतिलिपि, कंपनी के संचालक मण्डल की सूची तथा संचालक मण्डल की ओर से आवेदक के पक्ष में निष्पादित/जारी अधिकार पत्र भी उक्त आशय के Resolution के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। केवल आयकर स्थायी लेखा **(PAN)** क्रमांक तथा वर्तमान में धारित बैंक खाते का क्रमांक शपथ पत्र पर उल्लेख करना पर्याप्त नहीं होगा। टेण्डरदाता मदिरा दुकान/एकल समूह का स्पष्ट नाम लिखते हुए अपना ऑफर शब्दों तथा अंकों में टेण्डर प्रपत्र के **भाग-दो** में प्रस्तुत करेगा। जिसे वह पृथक लिफाफे में रखकर बंद करेगा। इसी लिफाफे में वह अपने ऑफर के 1/12 भाग की राशि का 01.04.2011 की तारीख अंकित, किसी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अपने बचत/चालू खाते का पोस्टडेटेड चैक भी रखेगा। टेण्डर प्रपत्र के दोनों भाग "**एक**" व "**दो**" के लिफाफे, एक बड़े लिफाफे में, इस तरह चिपकाकर बंद करेगा कि उसे फाड़े बिना, लिफाफों को खोला न जा सके। टेण्डरदाता द्वारा कंडिका 50.2 में घोषित समयावधि में विहित प्रक्रिया अनुसार टेण्डर प्रस्तुत किया जायेगा।

14.9 सील्ड टेण्डर संबंधित सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय के साथ-साथ, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश के ग्वालियर स्थित कार्यालय में तथा संबंधित उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता के कार्यालय में भी कंडिका 50.2 में घोषित नियत दिनांकों में जमा किये जा सकेंगे, जहां से इन्हें संबंधित जिला आबकारी कार्यालय में आगामी कार्यवाही हेतु यथास्थिति (सील्ड) भेज दिया जायेगा।

14.10 प्रत्येक मदिरा दुकान/एकल समूह के लिए प्राप्त समस्त टेण्डरों की संख्या की घोषणा निष्पादन स्थल पर की जावेगी। सभी टेण्डरदाता इस कार्यवाही के दौरान टेण्डर के निर्गमित मूल्य की रसीद के साथ उपस्थित रह सकते हैं। परंतु टेण्डरदाता की अनुपस्थिति निष्पादन की कार्यवाही में बाधक नहीं होगी।

14.11 टेण्डर द्वारा निष्पादित की जाने वाली सभी मदिरा दुकानों/एकल समूहों के घोषित आरक्षित मूल्य के अवरोही क्रम में, मदिरा दुकानवार/एकल समूहवार प्रस्तुत टेण्डरों का **भाग-एक** खोला जाकर, टेण्डरदाता के टेण्डर में भाग लेने की पात्रता की जांच की जाएगी। साथ ही टेण्डरदाता द्वारा संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह की देय धरोहर राशि की विधिवत पुष्टि/संतुष्टि होने एवं जांच में समस्त अभिलेख पूर्ण होने एवं समाधानकारक पाए जाने के उपरांत ही, जिला समिति द्वारा टेण्डर का ऑफर, **भाग-दो** फाईनेन्शियल बिड को खोला जाएगा। फाईनेन्शियल बिड के लिफाफे में टेण्डरदाता के ऑफर के 1/12 भाग के पोस्ट डेटेड चैक की अनुपस्थिति में अथवा उसके त्रुटिपूर्ण होने की स्थिति में, टेण्डरदाता द्वारा **भाग-दो** फाईनेन्शियल बिड में अंकित ऑफर विचारणीय नहीं होगा।

14.12 टेण्डरदाता अगर चाहे तो विभाग के पास टेण्डर की शर्तों के अनुरूप पात्रता संबंधी अभिलेख पहले ही जमा कर सकता है। संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह के अन्य टेण्डरों के **भाग-एक** खोलने के पूर्व, ऐसे टेण्डरदाताओं की पात्रता के बारे में, जिला समिति द्वारा निष्पादन स्थल पर घोषणा की जायेगी। अगर टेण्डरदाता की किसी भी त्रुटि के कारण टेण्डर प्रपत्र का **भाग-दो** खुलने से उसका ऑफर (फाईनेन्शियल बिड) प्रकट हो जाता है तथा टेण्डर प्रपत्र के **भाग-एक** अनुसार टेण्डरदाता अपात्र नहीं है और **भाग-2** में अंकित ऑफर (फाईनेन्शियल बिड) के 1/12 भाग का पोस्टडेटेड चैक संलग्न पाया जाता है, तो ही उसका ऑफर विचारणीय होगा, अन्यथा नहीं।

14.13 टेण्डर प्रपत्र **भाग–एक** के अभिलेखों में धरोहर राशि के विधिवत जमा पाये जाने पर, अभिलेखों में लिपिकीय त्रुटि अथवा सामान्य त्रुटियों के आधार पर प्राप्त ऑफर (फाईनेन्शियल बिड) को अमान्य नहीं किया जावेगा। इस प्रकार की त्रुटियों का सुधार जिला समिति मौके पर करवा सकेगी। लिपिकीय त्रुटि अथवा सामान्य प्रकार की त्रुटि के संबंध में शंका–समाधान के लिए, संबंधित कलेक्टर, आबकारी आयुक्त से निर्देश प्राप्त कर सकेंगे। इस संबंध में आबकारी आयुक्त द्वारा दिया गया निर्देश अंतिम माना जावेगा।

14.14 टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् किसी भी टेण्डरदाता अथवा अन्य व्यक्ति का कोई भी मौखिक अथवा लिखित प्रस्ताव, सशर्त अथवा बिना शर्त न तो अभिलेखों मे लिया जावेगा और न ही उस पर कोई विचार किया जावेगा।

14.15 टेण्डर के माध्यम से प्राप्त ऑफर का अवरोही क्रम **(Descending Order)** में प्रत्येक टेण्डर के अनुरूप विवरण तैयार किया जावेगा। प्राप्त उच्चतम ऑफर संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह के निर्धारित आरक्षित मूल्य या उससे अधिक राशि का होने पर, उसे जिला समिति स्वीकार कर लेगी। अन्यथा स्थिति में मदिरा दुकानवार/एकल समूहवार प्राप्त टेण्डरों का तुलनात्मक पत्रक तैयार कर, इसकी सूचना तत्काल आबकारी आयुक्त को दी जाएगी। घोषित आरक्षित मूल्य की तुलना में, टेण्डर के ऑफर की राशि कम होने की दशा में, जिला समिति से प्राप्त प्रस्ताव पर आबकारी आयुक्त/शासन द्वारा आवश्यक निर्णय लिया जायेगा। जिसकी सूचना आबकारी आयुक्त द्वारा संबंधित जिले के कलेक्टर को दी जायेगी। आबकारी आयुक्त द्वारा ऑफर स्वीकार किए जाने के निर्देश दिए जाने पर, कलेक्टर टेण्डर की स्वीकृति की जानकारी देंगे। इसके विपरीत ऑफर को स्वीकृत न किए जाने के निर्देश दिये जाने की स्थिति में, कलेक्टर अन्य आगामी तिथि के लिए टेण्डर के माध्यम् से निष्पादन की कार्यवाही संपन्न किए जाने की घोषणा करेंगे। नियत समय पर आबकारी आयुक्त से निर्देश प्राप्त नहीं हो सकने की स्थिति में, निष्पादन की यह कार्यवाही उसी स्टेटस पर आगामी दिवस के लिए स्थगित रहेगी। टेण्डर द्वारा निष्पादन के प्रथम चरण से शेष बची मदिरा दुकानों/एकल समूहों का निष्पादन आबकारी आयुक्त, द्वारा घोषित/निर्धारित दिनांक को पुनः टेण्डर आमंत्रित कर, किया जाएगा। ऐसे टेण्डरों का निराकरण भी उपरोक्त प्रावधान अथवा शासन द्वारा निर्दिष्ट व्यवस्था से होगा।

14.16 टेंडर के माध्यम से किसी मदिरा दुकान/एकल समूह के लिए, निर्धारित आरक्षित मूल्य या उससे अधिक समान उच्चतम राशि का एक से अधिक ऑफर प्राप्त होता हैं, तो ऐसी स्थिति में उच्चतम ऑफरदाताओं के मध्य सफल टेण्डरदाता का चयन लॉटरी द्वारा किया जायेगा।

14.17 टेण्डरदाता द्वारा निम्नांकित कण्डिका क्रमांक–16 में वर्णित प्रारूप में प्रस्तुत किये जाने वाले नोटराईज्ड शपथ पत्र में यह स्पष्ट आशय अंकित किया जायेगा कि ''उसे यह ज्ञात है कि मदिरा दुकान के लिए निर्धारित क्षेत्र में आपत्तिरहित स्थल खोज कर वहां दुकान स्थापित व संचालित करने का दायित्व उसका स्वयं का है।''

14.18 उच्चतम टेण्डरदाता यदि टेण्डर की पुष्टि तक, टेण्डर में अंकित ऑफर पर स्थिर नहीं रहेगा अथवा टेण्डर वापिस लेगा या अन्य किसी प्रकार से शर्तो का उल्लंघन करेगा, तो उस मदिरा दुकान/एकल समूह को, टेण्डर द्वारा पुनः निष्पादित करने पर, जो खिसारा आएगा अर्थात् शासन को जो हानि होगी, वह उच्चतम् टेण्डरदाता से भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी समय टेण्डर की शर्तो के उल्लंघन पर टेण्डरदाता द्वारा जमा की गई धरोहर राशि, उसको सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् राजसात की जा सकेगी। टेण्डरदाता द्वारा नगद अथवा किसी भी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बैंक गारंटी के रूप में अथवा बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कैश आर्डर द्वारा जमा की गई अन्य कोई राशि भी खिसारे की वसूली के पेटे समायोजित की जायेगी।

15. सहमति करार प्रस्तुत किया जाना :–

टेण्डर द्वारा देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान/एकल समूह के निवर्तन संबंधी शर्तों को, टेण्डर देने के पूर्व मान्य करने का सहमति करार

प्रत्येक टेण्डरदाता को निम्नलिखित प्रारूप में सहमति करार पत्र पर इस आशय की सहमति के हस्ताक्षर करना होंगे कि वह टेण्डर की प्रक्रिया में टेण्डर की शर्तों और निर्बन्धनों को स्वेच्छा से स्वीकार करता है। तद्नुसार राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखा का नाम एवं स्थान, उसमें संधारित बचत/चालू बैंक खाते का क्रमांक, स्वयं का पता तथा स्थायी आयकर लेखा (PAN) क्रमांक की जानकारी अंकित कर, किसी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक अथवा नोटरी अथवा आयकर अधिकारी द्वारा अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत किये गये, विभागीय राजपत्रित अधिकारी के द्वारा प्रमाणित फोटो सहित, सहमति करार में हस्ताक्षर कर, संबंधित सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

सहमति करार

राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक अथवा नोटरी अथवा आयकर अधिकारी अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत किये गये, विभागीय राजपत्रित अधिकारी के द्वारा प्रमाणित फोटो एवं प्रमाणित हस्ताक्षर

मैं .... (टेण्डरदाता का नाम) पिता/पति श्री..निवासी, ...धन्धे का स्थान ....आयु....................(वर्ष) शपथ पूर्वक घोषित करता/करती हूं कि :–

(1) मेरे राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के खाते का क्रमांक ....व बैंक का नाम तथा पता ....है।

(2) मेरे स्वयं का/फर्म/कम्पनी अथवा उसके किसी भागीदार/भागीदारों/डायरेक्टर/ डायरेक्टरों का स्थाई आयकर लेखा **(PAN)** क्रमांक,..है।

(3) मैंने देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान/एकल समूह के वर्ष 2011–12 के लिए निवर्तन की शर्ते पढ़–सुन तथा जान ली हैं तथा अन्यथा समझ ली हैं और मैं टेण्डर द्वारा निष्पादन की शर्तो एवं निर्बन्धनों को स्वेच्छा से प्रतिग्रहीत करता/करती हूं।

(4) मैंने जमा की गई धरोहर राशि का पूर्ण विवरण संलग्न कर दिया है।

(5) मैं टेण्डर में अंकित अपने ऑफर से विचलित होने की दशा में, अपने द्वारा निक्षेप की गयी धरोहर राशि, अग्रिम धन, प्रतिभूति, अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि के समर्पहरण के लिए करार करता/करती हूं तथा स्वयं को आबद्ध करता/करती हूं कि पुनः निष्पादन/पुनः निवर्तन की कार्यवाही किए जाने की स्थिति में, शासन को खिसारे के रूप में हुई हानि की प्रतिपूर्ति की रकम, मुझसे भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

हस्ताक्षर...............................

दिनांक.................................

टीप :–

(1) प्रत्येक देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान/एकल समूह के टेण्डरदाता (व्यक्ति/फर्म/कम्पनी) द्वारा अपना बैंक खाता क्रमांक एवं स्थायी आयकरदाता लेखा (PAN)

क्रमांक उपरोक्तानुसार सहमति करार पत्र में भरकर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) टेण्डर दाता यदि पंजीकृत फर्म/कम्पनी है तो उसके कार्यकारी भागीदार/मैनेजिंग डायरेक्टर अथवा अधिकृत डायरेक्टर को उपरोक्तानुसार सहमति करार पत्र की पूर्ति कर हस्ताक्षर करना होंगे।

श्री ....को उपरोक्त देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान/एकल समूह के उल्लेखित निवर्तन की कार्यवाही में, उनके द्वारा प्रस्तुत एवं हस्ताक्षरित उक्त सहमति करार के आधार पर, सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है/अनुमति दी गई है।

हस्ताक्षर नीलामकर्ता अधिकारी

दिनांक .... जिला ....

16. **नोटराइज्ड शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना:-**

प्रत्येक देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान/एकल समूह के टेण्डरदाता (व्यक्ति/फर्म/कम्पनी) द्वारा निम्नांकित प्रारूप में नोटराइज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा।

<u>शपथ-पत्र</u>

मैं स्वयं (नाम)..
(पिता/पति का नाम)..
निवासी (पता)...
शपथपूर्वक सत्यनिष्ठा से कथन करता/करती हूं कि :-

(1) मैं स्वयं अथवा फर्म/कंपनी की स्थिति में (फर्म/कम्पनी का नाम)..
....की ओर से अधिकार पत्र ग्रहीता हूं।

(2) मैं स्वयं अथवा फर्म/कंपनी की दशा में सभी भागीदार/संचालक देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान/एकल समूह के वर्ष 2011-12 के लिये उल्लेखित टेण्डर की कार्यवाही में टेण्डर/ऑफर देने हेतु अपात्र नहीं हूं/हैं।

(3) मेरे द्वारा वांछित सहपत्र प्रस्तुत कर दिये गये हैं। उसमें दी गयी जानकारी सत्य एवं पूर्ण है।

(4) मैंने टेण्डर प्रक्रिया द्वारा जिला .... की देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान/एकल समूह की निर्धारित धरोहर राशि कुल रूपये ....निम्न विवरण अनुसार जमा करा दी गयी है :-

(I) नगद राशि रूपये..

(II) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कैश आर्डर रूपये...

योग :- रूपये

---

(5) मैंने, बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कैश आर्डर का पूर्ण विवरण प्रस्तुत कर दिया है।

(6) मैं चयनित होने की दशा में प्रतिभूति की राशि तथा अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि के पोस्टडेटेड चैक्स निर्दिष्ट समय में जमा करने के लिए आबद्ध रहूंगा।

(7) **मुझे ज्ञात है कि दुकान के लिए निर्धारित क्षेत्र में आपत्तिरहित स्थल खोज कर वहां दुकान स्थापित व संचालित करने का दायित्व मेरा स्वयं का है।**

(8) देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान/एकल समूह के टेण्डर द्वारा निष्पादन के लिए, मेरे द्वारा निष्पादनकर्ता अधिकारी को प्रस्तुत सहमति करार पत्र में एवं टेण्डर प्रपत्र में उल्लेखित समस्त तथ्य एवं विवरण, सत्य एवं पूर्ण हैं। उक्त उल्लेखित किसी तथ्य/विवरण/बिन्दु के असत्य अथवा अपूर्ण पाये जाने पर अथवा मदिरा दुकानों के निष्पादन संबंधी किसी शर्त का पालन न करने पर कलेक्टर को टेण्डर में अंकित ऑफर को तथा

लायसेंस को निरस्त करने तथा मेरे द्वारा जमा कराई गयी धरोहर राशि, अग्रिम धन, प्रतिभूति, अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि को जप्त/राजसात करने का अधिकार होगा तथा इसके संबंध में मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

स्थान.................................. हस्ताक्षर....................................

दिनांक / /2011

सत्यापन लेख

मैं, (नाम).. (पिता/पति का नाम) श्री.. शपथपूर्वक कथन करता/करती हूं कि इस शपथ–पत्र के चरण (1) से चरण (8) तक में वर्णित जानकारी मेरे निर्जी ज्ञान से सत्य एवं सही है। इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है।

स्थान..............................

हस्ताक्षर.................................

दिनांक / /2011

17. टेण्डरदाताओं की पहचान एवं निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण के संबंध में :–

टेण्डर द्वारा मदिरा दुकानों/एकल समूहों के निष्पादन हेतु इच्छुक टेण्डरदाताओं को उनकी व्यक्तिगत पहचान एवं उनके निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण के संबंध में, निम्न दस्तावेजों में से किसी एक–एक दस्तावेज की किसी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक अथवा नोटरी अथवा आयकर अधिकारी अथवा केन्द्रीय/राज्य शासन के राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित की गयी छायाप्रति को स्वप्रमाणित कर संलग्न प्रस्तुत करना होगा :–

17.1 व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान हेतु निम्न दस्तावेज मान्य होंगे:–

(1) पासपोर्ट।

(2) स्थायी आयकर लेखा संख्या (PAN) कार्ड।

(3) निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र (EPIC CARD)।

(4) ड्रायविंग लायसेंस।

(5) फोटोयुक्त वर्तमान बैंक बचत/चालू लेखा पुस्तिका।

17.2 निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण हेतु निम्न दस्तावेज मान्य होंगे।

(1) अधिकतम तीन माह पुराना टेलीफोन/मोबाइल फोन बिल।

(2) अधिकतम तीन माह पुराना बिजली भुगतान का बिल।

(3) अधिकतम तीन माह पुरानी एल.पी.जी. गैस रि–फिलिंग की रसीद।

(4) अधिकतम तीन माह पुराना पानी का बिल।

(5) किसी वित्तीय संस्थान द्वारा जारी फोटो युक्त क्रेडिट कार्ड।

(6) स्त्रोत पर आयकर कटौती का अद्यतन जारी फार्म 16 में प्रमाण पत्र

(7) बैंक की वर्तमान बचत/चालू लेखा पुस्तिका।

18. प्रतिभूति की राशि जमा किया जाना :–

18.1 प्रतिभूति की राशि संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह के नवीनीकरण अथवा टेण्डर द्वारा निष्पादन के दिनांक से 15 दिवस में अथवा दिनांक 30 मार्च 2011 तक, जो अवधि पहले आये जमा करनी होगी।

18.2 संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह का लायसेंस, प्रतिभूति राशि जमा हो जाने के पश्चात ही जारी किया जायेगा।

18.3 प्रतिभूति राशि नगद अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी, किसी भी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा में देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कैश ऑर्डर के रूप में अथवा किसी भी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा दिनांक 30 अप्रैल, 2012 तक की वैधता अवधि के अधीन जारी बैंक गारंटी के रूप में होगी।

18.4 अग्रिम प्रतिभूति की राशि, संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में बन्धक किसी भी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की सावधि जमा के रूप में भी प्रस्तुत की जा सकेगी। जिसकी परिपक्वता अवधि कम से कम, दिनांक 30–04–2012 तक की होगी।

18.5 सफल टेण्डरदाता मदिरा दुकान/एकल समूह के निष्पादन के दिनांक से 15 दिवस की समयावधि में अथवा दिनांक 30 मार्च 2011, जो भी पहले हो तक यदि अग्रिम प्रतिभूति जमा नहीं करता है तथा अग्रिम प्रतिभूति की देय राशि की 50 प्रतिशत राशि नगद जमा कर, शेष 50 प्रतिशत राशि की बैंक गांरटी दिनांक 30 अप्रैल 2011 तक प्रस्तुत करने का आवेदन करता है तो, इस प्रतिबंध के अधीन कि देय अग्रिम प्रतिभूति की 50 प्रतिशत नगद जमा राशि, मुख्य राजस्व शीर्ष 0039 राज्य उत्पादन शुल्क में जमा करायी जाकर, उसका समायोजन देय बेसिक लायसेंस फीस एवं वार्षिक लायसेंस फीस के विरूद्ध माह मार्च 2012 के पूर्व आदेशित/मान्य नहीं किया जायेगा, आवेदक लायसेंसी के आवेदन को मान्य किया जाकर, लायसेंस जारी किया जायेगा।

18.6 नगद राशि के स्थान पर बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक एवं बैंक कैश आर्डर तभी मान्य किये जायेंगे, जब उनसे प्राप्त राशि शासकीय कोष में जमा हो जाये।

18.7 सफल टेण्डरदाता द्वारा दिनांक 30 अप्रैल 2011 तक प्रतिभूति की शेष 50 प्रतिशत राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में, उसे स्वीकृत लायसेंस निरस्त किया जा सकेगा तथा आवश्यकतानुसार दुकानों के संचालन की अन्य व्यवस्था की जा सकेगी।

18.8 अग्रिम प्रतिभूति राशि की बैंक गारंटी, रूपये 250/– मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर तैयार कराकर प्रस्तुत की जायेगी।

19. <u>अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि के पोस्ट डेटेड चैक जमा कराया जाना</u> :–

वर्ष 2011–12 के लिए नवीनीकरण अथवा टेण्डर द्वारा निष्पादित मदिरा दुकानों/एकल समूहों के लायसेंसी को उसकी, मदिरा दुकान/एकल समूह के वार्षिक मूल्य के आधार पर, एक माह के आनुपातिक वार्षिक मूल्य के समतुल्य राशि के माह अप्रैल 2011 से माह सितम्बर 2011 तक प्रत्येक माह की पहली तिथि में जारी छः (06) पोस्ट डेटेड चैक, जो किसी भी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में उसके वर्तमान में संधारित बचत/चालू खाते से, संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी किये गये हों, अतिरिक्त गारंटी के रूप में मदिरा दुकान/एकल समूह के निष्पादन के दिनांक से 15 दिवस अथवा दिनांक 30 मार्च 2011, जो भी पहले हो, जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त चैकों को वर्ष 2011–12 में किसी भी समय, एक माह से अधिक अवधि की वार्षिक लायसेंस फीस/बेसिक लायसेंस फीस की देयता लंबित होने पर ही, बकाया लायसेंस फीस की वसूली हेतु बैंक में भेजा जायेगा। यदि संबंधित लायसेंसी द्वारा वर्ष में देय सम्पूर्ण वार्षिक मूल्य (बेसिक लायसेंस फीस + वार्षिक लायसेंस फीस) चुका दिया जाता है तो, उपरोक्त पोस्ट डेटेड चैकों को लायसेंसी से प्राप्ति रसीद लेकर, मूलतः वापस कर दिया जायेगा।

20. प्रतिरूप करार प्रस्तुत किया जाना :–

वर्ष 2011–12 के लिए टेण्डर द्वारा निष्पादित मदिरा दुकान/एकल समूह के लायसेंसी को उसकी, मदिरा दुकान/एकल समूह के वार्षिक मूल्य के आधार पर निर्धारित प्रारूप में प्रतिरूप

करार भी निष्पादित करना होगा। प्रतिरूप करार निष्पादन एवं समस्त वांछित औपचारिकताओं की पूर्ति के उपरान्त, ही उसे संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह का लायसेंस जारी किया जायेगा।

21. डयूटी दरें :-

21.1 देशी मदिरा की ड्यूटी दरें :-

वर्ष 2011-12 के लिए 25 डिग्री अण्डर प्रूफ तेजी की देशी मदिरा मसाला तथा 50 डिग्री अण्डर प्रूफ तेजी की देशी मदिरा प्लेन की ड्यूटी दर, एक समान रुपये 80/- प्रति प्रूफ लिटर रहेगी।

21.2 विदेशी मदिरा (स्पिरिट) की ड्यूटी दरें :-

वर्ष 2011-12 के लिये विदेशी मदिरा के लिये डयूटी दर निम्नानुसार रहेगी :-

क्र	भारत निर्मित विदेशी मदिरा की प्रति पेटी घोषित एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर	डयूटी दर
1.	रूपये 400 तक	एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर का 150 % या रूपये 562.50 प्रति पेटी, जो भी अधिक हो।
2.	रूपये 401 से रूपये 800 तक	एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर का 112.50 % या रूपये 650 प्रति पेटी, जो भी अधिक हो।
3.	रूपये 801 से रूपये 1100 तक	एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर का 90 % या रूपये 900 प्रति पेटी, जो भी अधिक हो।
4.	रूपये 1101 से रूपये 1600 तक	एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर का 70 % या रूपये 1025 प्रति पेटी, जो भी अधिक हो।
5.	रूपये 1601 से रूपये 2800 तक	एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर का 45 % या रूपये 1150 प्रति पेटी, जो भी अधिक हो।
6.	रूपये 2801 से रूपये 4000 तक	एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर का 40 % या रूपये 1350 प्रति पेटी, जो भी अधिक हो।
7.	रूपये 4001 से रूपये 10000 तक	एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर का 22.50 % या रूपये 1650 प्रति पेटी, जो भी अधिक हो।
8.	रूपये 10000 से अधिक	एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर का 20 % या रूपये 2300 प्रति पेटी, जो भी अधिक हो।

21.3 विदेशी मदिरा बीयर पर ड्यूटी :-

बीयर पर डयूटी प्रति पेटी घोषित एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर का 37.50 प्रतिशत या रूपये 105 प्रति पेटी, जो भी अधिक हो, प्रभारित की जायेगी।

21.4 लो-अल्कोहोलिक बिवरेजेस पर ड्यूटी :-

लो-अल्कोहोलिक बिवरेजेस (ब्रीजर), जिनमें 8 प्रतिशत से कम अल्कोहल हो, पर डयूटी प्रति पेटी घोषित एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर का 37.50 प्रतिशत या रूपये 105 प्रति पेटी, जो भी अधिक हो प्रभारित की जायेगी।

21.5 ड्राफ्ट बीयर पर ड्यूटी :-

वर्ष 2011-12 के लिये ड्राफ्ट बीयर पर ड्यूटी रूपये 20/- प्रति बल्क लीटर की दर से प्रभारित की जायेगी।

21.6 विदेशी मदिरा वाइन पर ड्यूटी :–

विदेशी मदिरा वाईन पर ड्यूटी दर रूपये 125 प्रति प्रूफ लीटर रहेगी। जबकि मध्यप्रदेश राज्य में कृषकों द्वारा उत्पादित अंगूर का उपयोग कर मध्यप्रदेश में निर्मित विदेशी मदिरा वाईन पर ड्यूटी दर पूर्ववत शून्य रहेगी।

21.7 रक्षा सेवाओं को प्रदाय की जाने वाली विदेशी मदिरा पर ड्यूटी दर :–

वर्ष 2011–12 में रक्षा सेवाओं को प्रदाय की जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर ड्यूटी, सिविलियन्स के लिए देय ड्यूटी का रम के लिए 30 प्रतिशत तथा अन्य विदेशी मदिरा के लिए 50 प्रतिशत की दर से प्रभारित की जायेगी।

नोटः– पेटी से आशय विदेशी मदिरा की 12 क्वार्ट बोतल अथवा समतुल्य मात्रा से है।

22. एकल समूह में स्थित मदिरा दुकानों की वार्षिक लायसेंस फीस का समायोजन :–

एकल समूह मे सम्मिलित मदिरा दुकानों की वार्षिक लायसेंस फीस में समूह की देशी मदिरा दुकानों से विदेशी मदिरा दुकानों में अथवा विदेशी मदिरा दुकानों से देशी मदिरा दुकानों में अधिकतम 20 प्रतिशत तक वार्षिक लायसेंस फीस में समायोजन की अनुमति वर्ष 2011–12 में भी दी जा सकेगी। यह समायोजन संबंधित लायसेंसी की मांग एवं आवश्यकता का परीक्षण कर, जिले के सहायक आबकारी आयुक्त /जिला आबकारी अधिकारी द्वारा संभाग के उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता के अनुमोदन उपरान्त अनुमत किया जा सकेगा। उपरोक्तानुसार आदेशित समायोजन वर्ष 2011–12 के दौरान विपर्यय (Reversible) नहीं होगा। अर्थात वर्ष 2011–12 के दौरान एकल समूह की देशी मदिरा दुकान से यदि विदेशी मदिरा दुकान में वार्षिक लायसेंस फीस का समायोजन अनुमत किया गया है तो वर्ष के दौरान उसी समूह की विदेशी मदिरा दुकान से देशी मदिरा दुकान में अथवा एकल समूह की विदेशी मदिरा दुकान से यदि देशी मदिरा दुकान में वार्षिक लायसेंस फीस का समायोजन अनुमत किया गया है तो वर्ष के दौरान उसी समूह की देशी मदिरा दुकान से विदेशी मदिरा दुकान में समायोजन अनुमत नहीं होगा। ऐसी अनुमति भूतलक्षी प्रभाव से आदेशित न की जाकर, आदेश जारी किये जाने के दिनांक से प्रभावी होगी।

23. न्यूनतम एवं अधिकतम विक्रय दरों का निर्धारण व अंकन :–

23.1 वर्ष 2011–12 के लिए प्रत्येक लेबिल व प्रत्येक धारिता की विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन तथा बीयर) के साथ–साथ, देशी मदिरा की प्रत्येक किस्म व धारिता की बोतल पर न्यूनतम तथा अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य अंकन किये जाने की व्यवस्था पूर्ववत् प्रभाव में लाई जायेगी। निर्धारित न्यूनतम विक्रय मूल्य (MSP) से कम मूल्य पर या अधिकतम विक्रय मूल्य (MRP) से अधिक मूल्य पर, मदिरा का विक्रय गंभीर अनियमितता माना जायेगा।

वर्ष 2011–12 के लिए प्रत्येक लेबिल व प्रत्येक धारिता की विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन तथा बीयर) के साथ–साथ, देशी मदिरा की प्रत्येक किस्म की बोतलों पर न्यूनतम तथा अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य अंकन किये जाने की व्यवस्था पूर्ववत् प्रभाव में लाई जायेगी। **निर्धारित न्यूनतम विक्रय मूल्य से कम मूल्य पर या अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर, मदिरा का विक्रय गंभीर उल्लंघन माना जायेगा।**

23.2 नगर पंचायत व ग्रामीण क्षेत्र में स्थित मदिरा दुकानों में उपरोक्तानुसार निर्धारित न्यूनतम विक्रय मूल्य (MSP) से 10 प्रतिशत कम दरों पर मदिरा विक्रय की अनुमति होगी, अर्थात यही उसका न्यूनतम विक्रय मूल्य (MSP) होगा।

23.3 निर्धारित न्यूनतम विक्रय मूल्य (MSP) से कम मूल्य पर या अधिकतम विक्रय मूल्य (MRP) से अधिक मूल्य पर मदिरा के विक्रय को गंभीर उल्लंघन माना जाकर कार्यवाही की जायेगी।

24. होलोग्राम :—

वर्ष 2011—12 में भी विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन एवं बीयर) एवं देशी मदिरा की प्रत्येक किस्म एवं प्रत्येक धारिता की बोतल पर विभाग द्वारा निर्धारित सिक्योरिटी होलोग्राम लगाया जाना पूर्ववत् अनिवार्य रहेगा।

25. शॉप बार लायसेंस :—

वर्ष 2011—12 में विदेशी मदिरा की ऑफ श्रेणी की दुकानों में ''शॉप—बार (**Shop-Bar**) लायसेंस निम्न प्रतिबन्धों के अधीन गुण—दोष के आधार पर संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा स्वीकृत किये जा सकेंगे :—

(i) ''शॉप—बार'' का कवर्ड एरिया (उपभोग परिसर) कम से कम 300 वर्गफीट होगा। ऐसा परिसर संबंधित विदेशी मदिरा दुकान से लगा होना अनिवार्य होगा, ताकि ग्राहक दुकान से विदेशी मदिरा का क्रय कर, उसका उपभोग इस परिसर में कर सकें। यह सुविधा एक से अधिक तल पर उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।

(ii) ''शॉप—बार'' परिसर अनिवार्यतः एयर कूल्ड/एयर कन्डीशन्ड होगा।

(iii) ''शॉप—बार'' परिसर में शुद्ध जल की उपलब्धता अनिवार्य होगी।

(iv) ''शॉप—बार'' परिसर में शौचालय की व्यवस्था अनिवार्य होगी।

(v) ''शॉप—बार'' में फर्नीचर, हवा, प्रकाश एवं अग्निशमन की पर्याप्त व्यवस्था होगी। ''शॉप—बार'' परिसर में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य—रक्षा (Hygiene) का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

(vi) ''शॉप—बार'' 12 फीट से कम चौड़ी गली में स्थित नहीं होगा।

(vii) ''शॉप—बार'' में वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था होगी।

(viii) ''शॉप—बार'' का संचालन लायसेंसी द्वारा स्वयं किया जाना अनिवार्य होगा। किसी भी स्थिति में किसी अन्य व्यक्ति को संचालन की पात्रता नहीं होगी। ऐसा पाया जाने पर ''शॉप—बार'' हेतु स्वीकृत एफ.एल.—1—ख लायसेंस निरस्त कर दिया जावेगा।

(ix) वर्ष 2011—12 में स्वीकृत किये जाने वाले ''शॉप—बार'' लायसेंस हेतु, वार्षिक लायसेंस फीस, संबंधित विदेशी मदिरा दुकान के वार्षिक मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर अग्रिम देय होगी।

26. देशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था :—

वर्ष 2011—12 से देशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। तद्नुसार इसके मुख्य बिन्दु निम्नानुसार होंगे :—

26.1 वर्तमान में प्रदाय संविदाकार द्वारा रेक्टीफाइड स्पिरिट अपनी आसवनी से बॉटलिंग भाण्डागारों में लाई जाती है, जहां देशी मदिरा की भराई की जाकर बॉटलिंग भाण्डागारों तथा स्टोरेज भाण्डागारों के माध्यम से देशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के लायसेंसियों को प्रदाय की जाती है। अब देशी मदिरा का विनिर्माण प्रदाय संविदाकार की आसवनी एवं/अथवा राज्य में अन्यत्र स्थित बॉटलिंग इकाई में किया जाएगा। वहां से बोतल बन्द देशी मदिरा राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित वर्तमान भाण्डागारों में पहुंचाई जाएगी, जहां से ऐसी बोतल बन्द देशी मदिरा का प्रदाय देशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के लायसेंसियों को उनकी मांग अनुसार होगा। देशी मदिरा की भराई बॉटलिंग भाण्डागारों में नहीं होगी।

26.2 देशी मदिरा की दो किस्में मसाला 25 डिग्री अन्डरप्रूफ एवं प्लेन 50 डिग्री अन्डरप्रूफ पूर्ववत रहेंगी। देशी मदिरा मसाला ''कैरेमल'' रंग की होगी। देशी मदिरा प्लेन ''रंगहीन'' होगी।

26.3 देशी मदिरा की भराई पूर्वानुसार शब्द ''देशी मदिरा'' व ''म0प्र0 आबकारी'' तथा बोतल की धारिता उत्कीर्ण की हुई कांच की बोतलों में की जाएगी। कांच के साथ पैट बोतलों में भी देशी मदिरा की भराई की जाएगी। पैट बोतलों में भी बोतल की धारिता उत्कीर्ण होगी।

26.4 देशी मदिरा की बोतलों की धारिता पूर्वानुसार 750 मिलीलीटर, 375 मिलीलीटर तथा 180 मिलीलीटर की होगी।

26.5 देशी मदिरा मसाला एवं प्लेन की प्रत्येक पेटी में 750 मिलीलीटर धारिता की बोतलों के 12 नग अथवा 375 मिलीलीटर धारिता की बोतलों के 24 नग अथवा 180 मिलीलीटर धारिता की बोतलों के 50 नग होंगे। देशी मदिरा तीन प्लाई के मजबूत कोरोगेटेड बॉक्स में प्रदाय संविदाकार द्वारा अपनी बॉटलिंग इकाई में पैक की जाएगी।

26.6 देशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के लायसेंसियों को उनकी मांग के अनुसार कांच तथा/अथवा पैट बोतलों में मसाला एवं प्लेन देशी मदिरा की आपूर्ति नियमानुसार जमा की गई अग्रिम डयूटी के आधार पर, वर्तमान भाण्डागारों से की जाएगी।

26.7 पूर्व वर्षों की भांति 750, 375 तथा 180 मिलीलीटर की बोतलों में (बल्क लीटर में) क्रमशः 10:20:70 के अनुपात में देशी मदिरा के प्रदाय का प्रतिबंध समाप्त किया जा रहा है।

26.8 फुटकर ठेकेदार अपनी आवश्यकता के अनुसार देशी मदिरा वर्तमान मद्य भाण्डागार के माध्यम से प्रदाय संविदाकार आसवक से क्रय कर सकेगा। देशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंसी को, देशी मदिरा भाण्डागार से उसी किस्म एवं धारिता की देशी मदिरा का प्रदाय दिया जायेगा, जो तत्समय गोदाम में भण्डारित होकर प्रदाय के लिए उपलब्ध होगी। देशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंसी को, उसकी मांग अनुसार वांछित किस्म एवं धारिता की देशी मदिरा स्टॉक में न होने की स्थिति में प्रदाय न किये जाने पर किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति अथवा छूट प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा ।

26.9 वर्तमान में देशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के लायसेंसियों द्वारा खाली बोतलों की कीमत का भुगतान धरोहर राशि के रूप में प्रदाय संविदाकार/ आसवक को किया जाता है। इसके साथ ही वह निर्धारित दरों पर मसाला एवं प्लेन मदिरा की विभिन्न धारिताओं की बोतलों की प्रदाय दर (इश्यू प्राइस) का भी भुगतान प्रदाय संविदाकार/आसवक को करता है। अब वर्ष 2011–12 से इन दोनों राशियों का भुगतान करने के बजाय प्रदाय संविदाकार/आसवक को प्रति पेटी मसाला एवं प्लेन मदिरा की, राज्य शासन द्वारा अनुमोदित कीमत के भुगतान के आधार पर देशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के लायसेंसियों को देशी मदिरा का प्रदाय प्राप्त होगा।

26.10 वर्ष 2011–12 के लिए मसाला एवं प्लेन मदिरा की कांच एवं पैट बोतलों की (750 मिलीलीटर अथवा 375 मिलीलीटर अथवा 180 मिलीलीटर की धारिता की एक समान) प्रति पेटी, जिलेवार अनुमोदित कीमत का विवरण <u>परिशिष्ट "ख"</u> पर संलग्न हैं।

26.11 किसी एक किस्म की (मसाला अथवा प्लेन) देशी मदिरा की 750 मिलीलीटर अथवा 375 मिलीलीटर अथवा 180 मिलीलीटर की धारिता की बोतलों की पेटियों की कीमत अलग–अलग नहीं होगी, अर्थात एक समान होगी।

26.12 **वर्ष 2011–12 के लिए दिनांक 01.04.2011 से देशी मदिरा की आपूर्ति, उपरोक्त प्रस्तावित व्यवस्था के अतिरिक्त, किसी अन्य प्रकार से भी की जा सकेगी, जैसा कि इस संबंध में राज्य शासन द्वारा आदेशित किया जाये।**

27. <u>विदेशी मदिरा का प्रदाय</u> :–

वर्ष 2011–12 में फुटकर ठेकेदारों द्वारा मांग अनुसार चाही गयी विदेशी मदिरा का प्रदाय, देय कीमत का पृथक से भुगतान किये जाने पर, शासन द्वारा नियंत्रित संभागीय मुख्यालयों, जिला मुख्यालय सिवनी, जिला होशंगाबाद के तहसील मुख्यालय इटारसी तथा जिला खरगौन के सनावद में स्थापित व संचालित विदेशी मदिरा भांडागारों के माध्यम से पूर्ववत प्रचलित व्यवस्था अनुसार किया जाएगा।

28. विदेशी मदिरा भाण्डागार से प्रदायित विदेशी मदिरा पर देय परिवहन फीस :—
वर्ष 2011—12 में विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन तथा बीयर) के घोषित एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर पर, 8 प्रतिशत की दर से परिवहन फीस पूर्ववत् पृथक से प्रभारित की जायेगी।

29. ड्राफ्ट बीयर के प्रदाय के संबंध में :—
ड्राफ्ट बीयर उत्पादन इकाई से सीधे खपत के बिन्दु अर्थात एफ.एल.—1—ख (शॉप बार) लायसेंस धारित एफ.एल.—1 के साथ—साथ, एफ.एल.—1—कककक, रेस्तरां बार (एफ.एल.—2), होटल बार (एफ.एल.—3), रिसोर्ट बार (एफ.एल.—3—ए), सिविलियन क्लब बार (एफ.एल.—4), व्यवसायिक क्लब बार (एफ.एल.—4—ए), आकस्मिक लायसेंस (एफ.एल.—5) तथा सैनिक कैन्टीन क्लब बार (एफ.एल.—8) लायसेंसी को नियत ड्यूटी के अग्रिम भुगतान के बाद, जारी किये गये अनापत्ति प्रमाणपत्र के विरूद्ध परिवहन पारपत्र पर प्रदाय की जाएगी। केवल एफ.एल.—1—ख (शॉप बार) लायसेंस धारित एफ.एल.—1 लायसेंसी तथा एफ.एल.—1—कककक लायसेंसी द्वारा ड्राफ्ट बीयर के लिए जमा की गई ड्यूटी का समायोजन, उसकी वार्षिक लायसेंस फीस की देय पाक्षिक किश्त के विरूद्ध अनुमत किया जावेगा।

30. बेसिक लायसेंस फीस तथा वार्षिक लायसेंस फीस जमा करने की प्रक्रिया :—

30.1 वर्ष 2011—12 के लिये निष्पादित की गई मदिरा दुकानों/एकल समूहों के लिए निर्धारित बेसिक लायसेंस फीस में से, देय एवं जमा कराई गई धरोहर राशि को कम करने के पश्चात् शेष बेसिक लायसेंस फीस 24 पाक्षिक किश्तों में वसूली योग्य होगी। ये किश्तें समान रूप से विभाजित नहीं होंगीं। वर्ष के प्रथम त्रैमास में उक्त का 30 प्रतिशत, द्वितीय त्रैमास में 20 प्रतिशत तथा वर्ष के तृतीय एवं चतुर्थ त्रैमासों में क्रमशः 25 एवं 25 प्रतिशत भाग वसूल किया जायेगा। किसी भी त्रैमास में वसूली योग्य इस राशि को छः समान भागों में बांटा जाएगा, यदि यह राशि छः समान भागों में विभाज्य नहीं है तो, अविभाज्य शेष भाग को संबंधित त्रैमास की प्रथम पाक्षिक किश्त में समायोजित किया जाएगा। परन्तु अंतिम 24 वीं किश्त अर्थात ठेका अवधि की अंतिम किश्त 25 मार्च 2012 तक जमा करना अनिवार्य होगा। **अनुज्ञप्तिधारक (लायसेंसी) को उपरोक्तानुसार जमा बेसिक लायसेंस फीस के विरूद्ध मदिरा प्रदाय की पात्रता नहीं होगी।**

30.2 वर्ष 2011—12 में मदिरा दुकानों/एकल समूहों के लिए परिगणित वार्षिक लायसेंस फीस 24 पाक्षिक किश्तों में वसूली योग्य होगी। ये किश्तें समान रूप से विभाजित नहीं होंगीं। वर्ष के प्रथम त्रैमास में वार्षिक मांग का 30 प्रतिशत, द्वितीय त्रैमास में वार्षिक मांग का 20 प्रतिशत तथा वर्ष के तृतीय एवं चतुर्थ त्रैमासों में वार्षिक मांग का क्रमशः 25 एवं 25 प्रतिशत भाग वसूल किया जायेगा। किसी भी त्रैमास में वसूली योग्य इस राशि को छः समान भागों में बांटा जाएगा। यदि यह राशि छः समान भागों में विभाज्य नहीं है तो अविभाज्य शेष भाग को संबंधित त्रैमास की प्रथम पाक्षिक किश्त में समायोजित किया जाएगा। परन्तु अंतिम 24 वीं किश्त अर्थात ठेका अवधि की अंतिम किश्त 25 मार्च 2012 तक जमा करना अनिवार्य होगा। 25 मार्च, 2012 के पश्चात् जमा राशि के विरूद्ध मदिरा प्रदाय की पात्रता नहीं होगी। दिनांक 25 मार्च 2012 को जमा चालानों पर 27 मार्च 2012 तक ही प्रदाय दिया जावेगा।

30.3 देशी मदिरा अथवा विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा देशी मदिरा तथा/अथवा विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन, बीयर एवं ड्राफ्ट बीयर) की जो मात्रा क्रय की जायेगी, उसके एवज में निर्धारित दरों पर जमा ड्यूटी की राशि, उसकी संबंधित पक्ष की वार्षिक लायसेंस फीस की समतुल्य निर्धारित, पाक्षिक मांग के विरूद्ध समायोजित की जायेगी।

30.4 यदि किसी पक्ष के लिए निर्धारित वार्षिक लायसेंस फीस के समतुल्य मदिरा क्रय करने के उपरांत अनुज्ञप्तिधारी और अधिक मदिरा क्रय करता है तो इस प्रकार अधिक जमा ड्यूटी की राशि का समायोजन संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आगामी अवधि की वार्षिक लायसेंस फीस के विरूद्ध अनुमत किया जा सकेगा।

30.5 यदि किसी देशी मदिरा अथवा विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंसी द्वारा संबंधित पक्ष की देय बेसिक लायसेंस फीस की निर्धारित पाक्षिक किश्त उसी पक्ष में जमा नहीं कराई जाती है तो, आगामी पक्ष में जमा की गयी वार्षिक लायसेंस फीस की राशि को, प्रथमतः पिछले पक्ष की शेष रही बेसिक लायसेंस फीस के विरूद्ध, उस सीमा तक समायोजित किया जायेगा, जिस सीमा तक देय बेसिक लायसेंस फीस अवशेष रही है एवं इस राशि के विरूद्ध उसे मदिरा प्रदाय की पात्रता नहीं होगी। यदि अवशेष बेसिक लायसेंस फीस, सम्पूर्ण रूप से आगामी पक्ष की समाप्ति के पूर्व जमा नहीं कराई जाती है तो, उस पाक्षिक अवधि की समाप्ति पर उसे स्वीकृत लायसेंस निरस्त किया जा सकेगा तथा/अथवा आवश्यकतानुसार दुकानों के संचालन की अन्य व्यवस्था की जा सकेगी ।

30.6 यदि किसी देशी मदिरा अथवा विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंसी द्वारा संबंधित पक्ष की देय वार्षिक लायसेंस फीस की निर्धारित पाक्षिक किश्त उस पक्ष में जमा न कराई जाकर, आगामी पक्ष/पक्षों में जमा कराई जाती है तो, ऐसी विलम्ब से जमा कराई गई वार्षिक लायसेंस फीस की राशि के विरूद्ध उसे मदिरा प्रदाय की पात्रता नहीं होगी। यह अवशेष वार्षिक लायसेंस फीस, यदि आगामी पक्ष की समाप्ति के पूर्व जमा नहीं कराई जाती है तो, उस पाक्षिक अवधि की समाप्ति पर उसे स्वीकृत लायसेंस निरस्त किया जा सकेगा तथा/अथवा आवश्यकतानुसार दुकानों के संचालन की अन्य व्यवस्था की जा सकेगी।

30.7 एकल समूह की मदिरा दुकानों का पृथक–पृथक एवं स्वतंत्र अस्तित्व रहेगा, किन्तु एकल समूह की किसी भी एक या एक से अधिक दुकानों की पाक्षिक बेसिक लायसेंस फीस एवं/अथवा वार्षिक लायसेंस फीस बकाया रहने पर, वह बकाया संपूर्ण एकल समूह की बकाया मानी जाएगी। ऐसी बकाया रहने पर, उस एकल समूह की किसी भी दुकान को आगामी पक्ष में तब तक मदिरा का प्रदाय नहीं किया जाएगा, जब तक उस एकल समूह की समस्त मदिरा दुकानों की अवशेष बेसिक लायसेंस फीस एवं वार्षिक लायसेंस फीस जमा न हो जाए। यह बकाया बेसिक लायसेंस फीस एवं/अथवा वार्षिक लायसेंस फीस यदि आगामी पक्ष की समाप्ति के पूर्व जमा नहीं कराई जाती है तो, उस पाक्षिक अवधि की समाप्ति पर संपूर्ण एकल समूह का लायसेंस निरस्त किया जा सकेगा, तथा/अथवा एकल समूह की सभी दुकानों के संचालन की अन्य व्यवस्था की जा सकेगी।

30.8 यदि किसी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंसी द्वारा बेसिक लायसेंस फीस एवं वार्षिक लायसेंस फीस की संबंधित पक्ष की निर्धारित पाक्षिक किश्त उसी पक्ष की समाप्ति के पूर्व जमा करा दी जाती है और किसी प्रशासकीय कारणवश उसे उसी पक्ष में मदिरा का प्रदाय दिया जाना संभव नहीं होता है तो, उसे पक्ष समाप्ति के तुरन्त बाद की तिथियों में मदिरा का प्रदाय दिया जा सकेगा।

30.9 जनरल क्लाजेज एक्ट (साधारण खण्ड अधिनियम) की धारा–7 के अनुसार, यदि मध्यप्रदेश में लागू किसी अधिनियम के अन्तर्गत किसी कार्य को करने के लिए कोई निश्चित तिथि या अवधि के अन्तिम दिवस में कार्यालय बन्द हो और यदि उसके अगले कार्यकारी दिवस में वह कार्य किया जाता है तो, उस कार्य को समय पर किया जाना माना जाएगा। तदनुसार यदि पक्ष के अन्तिम दिवस/दिवसों में निगोशियेबल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट के अन्तर्गत

घोषित अवकाश में बैंक बन्द रहता है, जिसके कारण पक्ष के अन्तिम कार्यकारी दिवस में बेसिक/वार्षिक लायसेंस फीस जमा न की जाकर, उसके बाद आने वाले कार्यकारी दिवस में जमा की जाती है, तो ऐसी जमा बेसिक/वार्षिक लायसेन्स फीस को पूर्ववर्ती पक्ष में जमा लायसेन्स फीस मानकर कार्यवाही की जायेगी।

31. मदिरा स्कंध का एक मदिरा दुकान से उसी प्रकार की अन्य मदिरा दुकान में स्थानांतरण :–
वर्ष 2011–12 में किसी मदिरा दुकान पर अनुज्ञप्तिधारी की आवश्यकता से अधिक मदिरा संग्रहित होने पर, उसे उसी जिले की उसी प्रकार की अन्य दुकान में अंतरित करने की स्वीकृति, जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा दी जा सकेगी। इसके लिए देशी मदिरा, विदेशी मदिरा (स्पिरिट एवं वाईन) पर रूपये 2.00 प्रति प्रूफ लीटर तथा बीयर पर रूपये 1.00 प्रति बल्क लीटर की दर से परिवहन फीस, जिस दुकान से मदिरा का अन्तरण किया जा रहा है, उस अनुज्ञप्तिधारी से अग्रिम जमा करायी जायेगी।

32. अवशेष मदिरा स्कंध का निराकरण :–

32.1 वर्ष 2010–11 में ठेका अवधि समाप्त होने पर देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा के फुटकर विक्रय की दुकान पर शेष बचे मदिरा स्कंध को वर्ष 2011–12 के लायसेंसी को, सामान्य लायसेंस शर्त 25 के अनुपालन में अंतरित करना होगा। इस अंतरित मदिरा स्कंध पर वर्ष 2010–11 में भुगतान की गयी ड्यूटी की राशि का समायोजन, वर्ष 2011–12 की वार्षिक लायसेंस फीस में मान्य नहीं होगा। यदि वर्ष 2011–12 में लायसेंसी को ऐसे अवशेष मदिरा स्कंध पर ड्यूटी के अन्तर की राशि का भुगतान करना पड़ता है तो, ऐसी ड्यूटी के अन्तर की राशि, उसकी वर्ष 2011–12 की देय वार्षिक लायसेंस फीस के विरूद्ध समायोजन योग्य होगी। सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी इस तरह के मदिरा अंतरण की अनुमति अपने जिले में ही दे सकेंगे।

32.2 यदि लायसेंसी को यदि वर्ष 2011–12 के लिए उसी जिले में उसी स्वरूप की कोई अन्य दुकान आंवटित नहीं होती है, लेकिन किसी अन्य जिले में उसी स्वरूप की कोई अन्य दुकान आंवटित होती है, तो केवल ऐसी स्थिति में ही, दिनांक 30 अप्रैल 2011 तक प्राप्त ऐसे प्रस्ताव पर अवशेष मदिरा स्कंध के अंतरण की अनुमति आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा दी जा सकेगी।

33. मदिरा दुकानों की बिक्री का समय :–
वर्ष 2011–12 में देशी–विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों को खोलने का समय प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक रहेगा। विदेशी मदिरा दुकान के संलग्न स्थित शॉप बार परिसर में भी मदिरा के उपभोग की अनुमति प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक रहेगी। रेस्टोरेन्ट, होटल, रिसोर्ट तथा क्लब बार लायसेंस के अन्तर्गत परिसर में, विदेशी मदिरा की बिक्री एवं उपभोग का समय पूर्ववत प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 11.30 बजे तक रहेगा।

34. दुकानों का निरीक्षण :–
प्रत्येक लायसेंसी को अपने लायसेंस परिसर में विभाग द्वारा जारी की गई निरीक्षण पुस्तिका का संधारण करना अनिवार्य होगा। इसमें आबकारी विभाग सहित किसी भी अधिकृत अधिकारी को दुकान में किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने के पूर्व अपना नाम, पदनाम, आगमन का दिनांक व समय अंकित करने के साथ हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात ही वह अग्रिम कार्यवाही करेगा। ऐसी कार्यवाही का संक्षिप्त सारगर्भित विवरण भी उक्त निरीक्षण पुस्तिका में अंकित किया जायेगा। यह निरीक्षण पुस्तिका आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा नियत की गई कीमत के अग्रिम भुगतान के विरूद्ध लायसेंसी को प्रदाय की जायेगी। लायसेंसी को अपनी दुकान में क्लोज सर्किट टेलीविजन या वीडियो कैमरा के उपयोग की अनुमति होगी। लायसेंस परिसर/दुकान के निरीक्षण के लिये अधिकृत किसी अधिकारी को यदि निरीक्षण पुस्तिका,

निरीक्षण टीप अंकित करने हेतु प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो इसे गंभीर उल्लंघन मानकर कार्यवाही की जायेगी।

35. <u>लायसेंस का हस्तांतरण</u> :—

यदि लायसेंस की अवधि के दौरान किसी मदिरा दुकान/एकल समूह के लायसेंस का हस्तांतरण किया जाना आवश्यक पाया जायेगा तो, संबंधित लायसेंस की शेष अवधि के वार्षिक मूल्य आदि का भुगतान करने के लिए एवं लायसेंस की शर्तों का पालन करने के लिए मूल लायसेंसी (अंतरणकर्ता) तथा वह व्यक्ति जिसके नाम लायसेंस को बीच में हस्तांतरण किया जायेगा (अंतरणग्रहिता), दोनों ही बाध्य रहेंगे। वर्ष 2011—12 के लिए मदिरा दुकानों के लायसेंस के हस्तांतरण के लिए, उसके वार्षिक मूल्य के एक प्रतिशत के समतुल्य राशि हस्तांतरण फीस के रूप में प्रभारित की जायेगी।

36. <u>अग्रिम प्रतिभूति का बेसिक लायसेंस फीस एवं लायसेंस फीस में समायोजन</u> :—

36.1 देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों के लायसेंसी द्वारा वित्तीय वर्ष 2011—12 की समाप्ति के पूर्व जब भी अग्रिम प्रतिभूति की राशि को कम कर, शेष सम्पूर्ण देय बेसिक लायसेंस फीस तथा वार्षिक लायसेंस फीस एवं उस अवधि की अन्य कोई भी देय राशि जमा कर दी जाती है तथा लायसेंसी जमा अग्रिम प्रतिभूति की राशि का समायोजन, शेष रही बेसिक तथा वार्षिक लायसेंस फीस के विरूद्ध चाहता है तो, संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा ऐसे समायोजन की स्वीकृति, संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह का वार्षिक मूल्य रूपये एक करोड़ तक होने पर रूपये एक लाख एवं वार्षिक मूल्य रूपये एक करोड़ से अधिक होने पर, प्रति अतिरिक्त रूपये एक करोड़ अथवा उसके अंश के लिये आनुपातिक रूप से रूपये एक लाख के समतुल्य अतिरिक्त प्रतिभूति राशि प्राप्त कर आदेशित की जायेगी। प्रतिभूति की यह राशि नगद अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी, किसी भी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा में देय बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक/बैंक कैश ऑर्डर के रूप में प्रस्तुत की जा सकेगी।

36.2 उपरोक्त **कण्डिका क्रमांक—36.1** अनुसार प्रतिभूति प्राप्त करने के उपरान्त देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों के लायसेंसी द्वारा नगद जमा अग्रिम प्रतिभूति की राशि में से, वर्ष 2011—12 के लिए देय अवशेष सम्पूर्ण बेसिक लायसेंस फीस की राशि कम करके, शेष राशि के विरूद्ध मदिरा का प्रदाय, उपरोक्त **कण्डिका क्रमांक—18.5** में वर्णित प्रतिबन्धों के अधीन दिया जा सकेगा, किन्तु किसी भी पक्ष में निर्धारित देय पाक्षिक लायसेंस फीस से अधिक मदिरा की मात्रा का प्रदाय नहीं दिया जायेगा।

36.3 अग्रिम प्रतिभूति की राशि यदि नगद जमा से भिन्न, बैंक गारंटी के रूप में है तो ऐसी प्रतिभूति की राशि के विरूद्ध मदिरा का प्रदाय, बैंक गारंटी की राशि मुख्य राजस्व शीर्ष 0039 राज्य उत्पादन शुल्क में कोषालय चालान द्वारा जमा होने के उपरान्त ही अनुमत होगा।

37. <u>मदिरा दुकानों के लिए गोदाम की व्यवस्था</u> :—

37.1 वर्ष 2011—12 में केवल नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्रों में स्थित विदेशी मदिरा दुकानों में विदेशी मदिरा के संग्रह के लिये पर्याप्त स्थान न होने पर, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशों व आदेशित प्रतिबंधों के अधीन, संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा गोदाम स्वीकृत किया जा सकेगा।

37.2 वर्ष 2011—12 में केवल नगर निगम क्षेत्रों में स्थित देशी मदिरा दुकानों में मदिरा के संग्रह के लिये पर्याप्त स्थान न होने पर, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा इस संबंध में आदेशित प्रतिबंधों के अधीन गोदाम स्वीकृत किये जाने की अनुमति दी जा सकेगी।

38. रतलाम स्थित वाईनरी को फुटकर बिक्री की अनुमति :—

वर्ष 2011—12 में कृषकों द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में उत्पादित अंगूर से निर्मित वाईन के, रतलाम जिले में स्थित वाईनरी के अनुज्ञप्त परिसर में फुटकर बिक्री तथा टेस्टिंग की सुविधा एवं इन्दौर, भोपाल एवं खजुराहो में स्वीकृत रिटेल आउट—लेट में ऐसी वाईन की फुटकर बिक्री की अनुमति पूर्ववत रहेगी।

39. पुनर्निष्पादन :—

वर्ष 2011—12 के लिए सार्वजनिक रूप से टेण्डर द्वारा निष्पादित किये जाने पर, किसी भी मदिरा दुकान/एकल समूह का पुनर्निष्पादन, केवल इस आधार पर आदेशित नहीं किया जायेगा कि उसके निष्पादन के समय उपस्थित कोई टेण्डरदाता, निष्पादन की प्रक्रिया में प्राप्त उच्चतम ऑफर के विरूद्ध, अधिक ऑफर देने का इच्छुक होकर, निष्पादित की गयी दुकान के पुनर्निष्पादन की अपेक्षा रखता हो।

40. लायसेंस अवधि के दौरान दुकान का पुर्नर्निष्पादन :—

लायसेंस अवधि के दौरान लायसेंस शर्तों के उल्लंघन, लायसेंस फीस (बेसिक लायसेंस फीस एवं/अथवा वार्षिक लायसेंस फीस) जमा न करने अथवा किसी अन्य कारण से, यदि मदिरा दुकान/ एकल समूह का लायसेंस निरस्त किए जाने की स्थिति बनती है तो ऐसी स्थिति में जिला समिति को उस मदिरा दुकान/एकल समूह को पुनः निष्पादित करने के अधिकार होंगे। एकल समूह की स्थिति में किसी एक दुकान का लायसेंस निरस्त किये जाने की स्थिति निर्मित होने पर, उक्त एकल समूह की सभी मदिरा दुकानों का लायसेंस निरस्त किया जायेगा। लायसेंस निरस्त किए जाने के पश्चात मूल अनुज्ञप्तिधारी के उत्तरदायित्व पर, उस मदिरा दुकान/एकल समूह का पुनः निष्पादन टेण्डर के माध्यम से किया जाएगा। मदिरा दुकान/एकल समूह का पुनः निष्पादन होने तक उसका विभागीय संचालन स्थानीय अधिकारियों/कर्मचारियों के माध्यम से किया जाएगा। टेण्डर के माध्यम से मदिरा दुकान/एकल समूह के पुनः निष्पादन अथवा विभागीय संचालन में, वर्ष 2011—12 के लिए निष्पादन उपरान्त प्राप्त वार्षिक मूल्य की तुलना में, जो भी राशि कम प्राप्त होगी, वह मूल अनुज्ञप्तिधारी से वसूली योग्य होगी। पुनः निष्पादन किस मूल्य पर किया जाए, इसके लिए जिला समिति को मैदानी वास्तविकताओं के आधार पर निर्णय लेने के अधिकार होंगे।

41. शुष्क दिवस :—

वर्ष 2011—12 के लिए शासन द्वारा अधिसूचित अनुसार 3 शुष्क दिवस निम्नानुसार रहेंगे:— .

(1) 15 अगस्त, 2011 (स्वतंत्रता दिवस)
(2) 02 अक्टूबर, 2011 (महात्मा गांधी जयंती)
(3) 26 जनवरी, 2012 (गणतंत्र दिवस)

उपरोक्त के अतिरिक्त जिला कलेक्टर वर्ष 2011—12 में प्रशासकीय तथा लोक हित में किसी भी स्थान की कोई एक या इससे अधिक दुकानों अथवा तहसील या जिले की समस्त मदिरा दुकानों के लिए कुल 4 दिवस शुष्क दिवस के रूप में घोषित करने के लिए सक्षम रहेंगे।

42. मद्य निषेध की नीति तथा प्राकृतिक विपत्तियों के फलस्वरूप दुकान बन्द करना :—

राज्य में अथवा किसी पड़ोसी राज्य में मद्य निषेध की नीति के फलस्वरूप यदि कोई मदिरा दुकान/दुकानें बन्द की जाती हैं तो, इसके कारण लायसेंसी को शासन द्वारा कोई क्षति पूर्ति देय नहीं होगी। इसी प्रकार यदि पड़ोसी राज्य में मद्य निषेध के कारण अथवा किसी अन्य कारण से भी राज्य की किसी भी दुकान का पुनः निष्पादन करने का निर्णय लिया जाता है तो, ऐसा करने का अधिकार शासन को होगा तथा उस पर किसी लायसेंसी की आपत्ति मान्य नहीं की जायेगी और किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति अथवा छूट किसी भी आपत्तिकर्ता को देय नहीं होगी। यदि लायसेंस की अवधि में लायसेंसी को किसी दैवीय विपत्ति या प्राकृतिक प्रकोप अथवा

सामाजिक, राजनैतिक उपद्रवों, कानून व्यवस्था संबंधी समस्याओं के फलस्वरूप किसी प्रकार की क्षति होती है तो, लायसेंसी को किसी तरह की क्षतिपूर्ति की पात्रता नहीं होगी।

43. <u>ठेका की अवधि में निष्पादन की शर्तों का प्रभावशील रहना :–</u>

देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन की ये सभी शर्तें, वर्ष 2011–12 के दौरान होने वाले पुनः निष्पादन की कार्यवाही के संबंध में भी प्रभावशील रहेंगी।

44. <u>अन्य कर :–</u>

ठेका अवधि में यदि केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा किसी अधिनियम अथवा नियम के अन्तर्गत मादक पदार्थों पर कोई कर लगाया जावेगा तो, अनुज्ञप्तिधारी इस बाबत बेसिक लायसेंस फीस अथवा वार्षिक लायसेंस फीस में किसी छूट अथवा क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा और इस संबंध में उसकी कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

45. <u>अन्य व्यवस्थायें लागू रहना :–</u>

वर्ष 2011–12 के लिए मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन एवं संचालन हेतु लागू की जाने वाली जिन व्यवस्थाओं के संबंध में उल्लेख/अथवा अन्यथा पृथक से निर्देशित नहीं किया गया है, वे सभी व्यवस्थाऐं वर्ष 2010–11 में प्रचलित व्यवस्था अनुसार पूर्ववत लागू रहेंगी।

46. <u>बार लायसेंसों के संबंध में :–</u>

46.1 वर्ष 2011–12 के लिए रेस्तरां बार (एफ.एल.–2), होटल बार (एफ.एल.–3), रिसोर्ट बार (एफ.एल.–3–ए), सिविलियन क्लब बार (एफ.एल.–4) तथा व्यवसायिक क्लब बार (एफ.एल.–4–ए) तथा मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के होटलों के लायसेंसों की वर्ष 2010–11 के लिए निर्धारित लायसेंस फीस यथावत रहेगी। लेकिन मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के रेस्तरां बार (एफ.एल.–2) लायसेंस की लायसेंस फीस, वर्ष 2010–11 में प्रभारित की गयी लायसेंस फीस का 50 प्रतिशत देय होगी।

46.2 होटल तथा रेस्टोरेंट बार लायसेंस के लिए वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर 40 हजार की जनसंख्या पर एक बार लायसेंस की स्वीकृति के मापदण्ड के अनुसार एक रेस्तरां बार (एफ.एल.–2) तथा एक होटल बार (एफ.एल.–3) लायसेंस, इस संबंध में प्रभावी प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किया जा सकेगा। पर्यटन विभाग द्वारा प्रमाणित किये गये पर्यटन स्थलों पर जनसंख्या के प्रतिबंध के बिना, बार लायसेंस पूर्ववत् स्वीकृत किये जा सकेंगे।

46.3 वर्ष 2011–12 में मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के रेस्तरां बार (एफ.एल.–2) तथा होटल बार (एफ.एल.–3) लायसेंसों को छोड़कर, शेष रेस्तरां बार (एफ.एल.–2), होटल बार (एफ.एल.–3), रिसोर्ट बार (एफ.एल.–3–ए) तथा व्यवसायिक क्लब बार (एफ.एल.–4–ए) लायसेंसों के अन्तर्गत मिनिमम गारण्टी निर्धारित की जाएगी। उक्त बार लायसेंसों के अंतर्गत वर्ष 2010–11 के लिये निर्धारित की गई मिनिमम् गारण्टी ही यथावत वर्ष 2011–12 के लिये संबंधित बार लायसेंस की विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन एवं बीयर) की मिनिमम गारंटी निर्धारित की जाएगी।

46.4 वर्ष 2011–12 के लिए नवीन रेस्तरां बार (एफ.एल.–2), होटल बार (एफ.एल.–3), रिसोर्ट बार (एफ.एल.–3–ए) तथा व्यवसायिक क्लब बार (एफ.एल.–4–ए) लायसेंस की स्वीकृति की स्थिति में कलेक्टर, संभागीय उपायुक्त (आबकारी) से परामर्श कर संबंधित बार की मिनिमम गारंटी निर्धारित करेंगे।

46.5 त्रैमासिक आधार पर लायसेंसी द्वारा निर्धारित मिनिमम गारंटी के समतुल्य विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन व बीयर) क्रय न किये जाने की स्थिति में, ऐसी कम क्रय की गई विदेशी मदिरा (स्पिरिट व वाईन) की मात्रा पर अधिकतम रूपये 750/–प्रति प्रूफ लीटर एवं

विदेशी मदिरा (बीयर) पर अधिकतम रूपये 40/–प्रति बल्क लीटर की दर से शास्ति अधिरोपित की जाएगी।

46.6 विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के सुगम निष्पादन की दृष्टि से वर्तमान में संचालित बार लायसेंस, नवीनीकरण उपरांत वर्ष 2011–12 में किस निकटतम स्थित विदेशी मदिरा दुकान से सम्बद्ध रहेंगे, इसकी घोषणा संबंधित जिला कलेक्टरों द्वारा विदेशी मदिरा दुकानों के निष्पादन की कार्यवाही के पूर्व कर दी जाएगी। वांछित Brand न मिलने पर अन्य दुकान से मदिरा लाने की अनुमति कलेक्टर दे सकेंगे।

46.7 वर्ष 2011–12 में केवल मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित के रेस्तरां बार (एफ.एल.–2) तथा होटल बार (एफ.एल.–3) लायसेंसों को उनकी मांग अनुसार विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन एवं बीयर) का प्रदाय, देय डयूटी के अग्रिम भुगतान के विरूद्ध संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर, संबंधित विदेशी मदिरा भाण्डागारों से सीधे किया जायेगा। इस प्रकार क्रय की जाने वाली विदेशी मदिरा की घोषित एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय कीमत, देय परिवहन फीस एवं देय आयकर आदि का भुगतान, संबंधित विदेशी मदिरा भाण्डागार पर स्थापित बैंक काउन्टर पर अग्रिम रूप से करना होगा। बार लायसेंस के अन्तर्गत विक्रय योग्य लेबिलों की विदेशी मदिरा की न्यूनतम एक पेटी का क्रय करना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त से भिन्न अन्य बार लायसेंसियों को बार लायसेंस के अन्तर्गत विक्रय योग्य लेबिलों की विदेशी मदिरा का क्रय पूर्ववत् संबद्ध की गई विदेशी मदिरा की निकटतम एफ.एल.–1 अथवा एफ.एल.–1 कककक दुकान से करना होगा।

46.8 आगामी वर्ष 2011–12 में तीन सितारा एवं इससे उच्च श्रेणी के होटल बार (एफ.एल.–3) लायसेंसों तथा रिसोर्ट बार (एफ.एल.–3) लायसेंसों में यात्रियों के ठहरने वाले कमरों में, स्थापित किये गये फ्रिज में बीयर एवं वाईन के साथ–साथ, केवल मूल में निर्मित एवं बोतल बन्द (Bottled in Origin) लेबिलों की आयातित विदेशी मदिरा के 90 मिली लीटर अथवा इससे कम धारिता की सील्ड बोतलें संग्रहित कर रखे जाने एवं ऐसे कमरों का अधिभोग करने वाले यात्रियों को बीयर एवं वाईन के साथ–साथ उपरोक्त मूल में निर्मित एवं बोतल बन्द (Bottled in Origin) आयातित विदेशी मदिरा के उपयोग की अनुमति दी जायेगी।

46.9 वर्ष 2011–12 के लिए व्यावसायिक प्रयोजन हेतु आकस्मिक **(Occasional)** (एफ.एल.–5) लायसेंस की लायसेंस फीस रूपये 2000/–प्रति दिन तथा अन्य प्रयोजन के लिए रूपये 1000/– प्रति दिन पूर्ववत् अग्रिम देय होगी।

47. वर्ष 2011–12 के लिए रेस्टोरेंट, होटल, रिसोर्ट बार, क्लब बार अनुज्ञप्ति की स्वीकृति व संचालन हेतु लागू की जाने वाली जिन व्यवस्थाओं के संबंध में अन्यथा पृथक से निर्देशित नहीं किया गया है, वे सभी व्यवस्थाऐं वर्ष 2010–11 की भांति पूर्ववत लागू रहेंगी।

48. वर्ष 2011–12 में स्वीकृत/जारी किये जाने वाले मादक पदार्थो की फुटकर बिक्री के सभी लायसेंस मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (यथा संशोधित) तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये एवं समय–समय पर संशोधित किये गये नियमों और समय–समय पर राज्य शासन, आबकारी आयुक्त व कलेक्टर द्वारा पारित आदेशों/अनुदेशों के अध्यधीन रहेंगे।

49. जिले की मदिरा दुकानों के नवीनीकरण एवं टेण्डर द्वारा निष्पादन से संबंधित शर्तों के संबंध में तैयार किये गये विक्रय ज्ञापन की प्रति, रुपये 500/– पृथक से नगद जमा करने पर, संबंधित जिला आबकारी कार्यालय से उपलब्ध हो सकेगी।

50. मदिरा के फुटकर बिक्री के लायसेंसों के टेंडर द्वारा निष्पादन की तिथियां एवं स्थल :–

50.1	नवीनीकरण के पश्चात निष्पादन से शेष रही दुकानों के टेंडर प्रपत्र विक्रय की तिथि व समय	सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से दिनांक 19 फरवरी 2011 से दिनांक 28 फरवरी 2011 की अवधि में प्रातः 10.30 बजे से सांयकाल 17.30 बजे तक तथा दिनांक 01 मार्च, 2011 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक।
50.2	टेंडर प्रपत्र जमा करने की तिथि व समय	आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश के ग्वालियर स्थित कार्यालय में दिनांक 21 फरवरी 2011 से दिनांक 26 फरवरी 2011 की अवधि में प्रातः 10.30 बजे से सांयकाल 17.30 बजे तक।
		संबंधित संभागीय उपायुक्त आबकारी के कार्यालय में दिनांक 21 फरवरी 2011 से दिनांक 28 फरवरी 2011 की अवधि में प्रातः 10.30 बजे से सांयकाल 17.30 बजे तक।
		संबंधित सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 21 फरवरी 2011 से दिनांक 28 फरवरी 2011 की अवधि में प्रातः 10.30 बजे से सांयकाल 17.30 बजे तक तथा दिनांक 01 मार्च, 2011 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 13.30 बजे तक।
50.3	टेंडर प्रपत्र को खोलकर निष्पादन की कार्यवाही की तिथि व समय	टेंडर द्वारा निष्पादन के स्थल पर दिनांक 01 मार्च, 2011 को दोपहर 14.00 बजे से कार्यवाही पूर्ण होने तक।

(अरूण कुमार भट्ट)
आबकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश

परिशिष्ट "क"

51 मदिरा के फुटकर बिक्री के लायसेंसों के टेंडर द्वारा निष्पादन के स्थल

क्रमांक	जिले का नाम	निष्पादन स्थल
1	इंदौर	कलेक्टोरेट, इन्दौर
2	झाबुआ	कलेक्टोरेट, झाबुआ
3	अलीराजपुर	कलेक्टोरेट, अलीराजपुर
4	खरगौन	स्वामी विवेकानंद सभागृह, कलेक्टोरेट, खरगौन
5	बड़वानी	कलेक्टोरेट, बड़वानी
6	धार	कलेक्टोरेट, धार
7	खण्डवा	आबकारी भवन परिसर, खण्डवा
8	बुरहानपुर	कलेक्टोरेट, बुरहानपुर
9	भोपाल	सहायक आयुक्त आबकारी कार्यालय, भोपाल
10	राजगढ़	नवीन कलेक्टोरेट, राजगढ़ (ब्यावरा)
11	विदिशा	कलेक्टोरेट, विदिशा
12	सीहोर	कलेक्टोरेट, सीहोर
13	रायसेन	कलेक्टोरेट, रायसेन
14	होशंगाबाद	कलेक्टोरेट, होशंगाबाद
15	हरदा	कलेक्टोरेट, हरदा
16	बैतूल	जिला आबकारी कार्यालय, बैतूल
17	जबलपुर	कलेक्टोरेट, जबलपुर
18	डिण्डोरी	कलेक्टोरेट, डिण्डोरी
19	सिवनी	कलेक्टोरेट, सिवनी
20	छिंदवाड़ा	कलेक्टोरेट, छिंदवाड़ा
21	कटनी	कलेक्टोरेट, कटनी
22	बालाघाट	कलेक्टोरेट, बालाघाट
23	मंडला	कलेक्टोरेट, मण्डला
24	नरसिंहपुर	न्यू कलेक्टोरेट, नरसिंहपुर
25	ग्वालियर	कलेक्टोरेट, ग्वालियर
26	मुरैना	कलेक्टोरेट, मुरैना
27	भिण्ड	कलेक्टोरेट, भिण्ड
28	श्योपुर	जिला आबकारी कार्यालय, चम्बल कालोनी, श्योपुर
29	गुना	कलेक्टोरेट, गुना
30	अशोकनगर	कलेक्टोरेट, अशोकनगर
31	शिवपुरी	कलेक्टोरेट, शिवपुरी
32	दतिया	संयुक्त कलेक्टोरेट भवन,, दतिया
33	सागर	कलेक्टोरेट, सागर
34	दमोह	नवीन कलेक्टोरेट, दमोह

35	पन्ना	कलेक्टोरेट, पन्ना
36	टीकमगढ़	संयुक्त कार्यालय भवन, जिला आबकारी कार्यालय टीकमगढ़
37	छतरपुर	कलेक्टोरेट, छतरपुर
38	रीवा	सहायक आयुक्त आबकारी कार्यालय, रीवा
39	सतना	कलेक्टोरेट, सतना
40	शहडोल	संयुक्त जिला कार्यालय, शहडोल
41	उमरिया	कलेक्टोरेट, उमरिया
42	अनूपपुर	कलेक्टोरेट, अनूपपुर
43	सीधी	कलेक्टोरेट, सीधी
44	सिंगरौली	कलेक्टोरेट, सिंगरौली
45	उज्जैन	सहायक आयुक्त आबकारी कार्यालय, उज्जैन
46	शाजापुर	कलेक्टोरेट, शाजापुर
47	मंदसौर	जिला आबकारी कार्यालय, मंदसौर
48	नीमच	कलेक्टोरेट, नीमच
49	रतलाम	सहायक आयुक्त आबकारी कार्यालय, रतलाम
50	देवास	जिला आबकारी कार्यालय, देवास

परिशिष्ट–''ख''

क्र.	सफल आसवक (प्रदाय संविदाकार) का नाम	प्रदाय क्षेत्र (जिले) का नाम	देशी शराब के प्रति पेटी स्वीकृत थोक विक्रय दर (रुपयों में)			
			मसाला कांच	मसाला PET	प्लेन कांच	प्लेन PET
1	2	3	4	5	6	7
1.	मेसर्स एसोसिएटेड अल्कोहल एण्ड ब्रेवरीज लिमिटेड खरगोन	1—ग्वालियर	355	350	302	297
		2—खरगोन	353	348	300	295
		3—बड़वानी	354	349	301	296
		4—उज्जैन	355	350	302	297
		5—रीवा	355	350	302	297
		6—सतना	355	350	302	297
		7—नरसिंहपुर	355	350	302	297
		8—मण्डला	355	350	302	297
		9—डिण्डोरी	355	350	302	297
		10—सिवनी	355	350	302	297
2	मेसर्स ग्वालियर डिस्टलर्स लिमिटेड रायरू जिला ग्वालियर	11—भिण्ड	353	348	300	295
		12—मुरैना	353	348	300	295
		13—श्योपुर	354	349	301	296
		14—दतिया	354	349	301	296

		15—होशंगाबाद	355	350	302	297
		16—हरदा	355	350	302	297
		17—बैतूल	355	350	302	297
		18—रतलाम	355	350	302	297
		19—जबलपुर	355	350	302	297
		20—कटनी	355	350	302	297
3	मेसर्स ओएसिस डिस्टलरीज लि. बोराली जिला धार	21—शिवपुरी	355	350	302	297
		22—गुना	355	350	302	297
		23—अशोकनगर	355	350	302	297
		24—मंदसौर	355	350	302	297
		25—नीमच	354	349	301	296
4	मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रा. लि. रायसेन	26—विदिशा	354	349	301	296
		27—रायसेन	353	348	300	295
		28—देवास	355	350	302	297
		29—सागर	355	350	302	297
		30—दमोह	355	350	302	297
		31—सीधी	355	350	302	297
		32—सिंगरौली	355	350	302	297
		33—शहडोल	355	350	302	297
		34—उमरिया	355	350	302	297
		35—अनूपपुर	355	350	302	297
		36—छिंदवाड़ा	355	350	302	297
5	मेसर्स विंध्याचल डिस्टलरीज प्रा.लि. राजगढ़	37—भोपाल	355	350	302	297
		38—सीहोर	355	350	302	297
		39—राजगढ़	353	348	300	295
		40—शाजापुर	355	350	302	297
6	मेसर्स ग्रेट गेलियन लिमिटेड सेजवाया जिला धार	41—इन्दौर	355	350	302	297
		42—धार	353	348	300	295
		43—झाबुआ	355	350	302	297
		44—अलीराजपुर	355	350	302	297
		45—बालाघाट	355	350	302	297
7	मेसर्स अग्रवाल डिस्टलरीज प्रा.लि. खरगोन	46—खण्डवा	355	350	302	297
		47—बुरहानपुर	355	350	302	297
8	मेसर्स कॉक्स इण्डिया लिमिटेड नौगांव जिला छतरपुर	48—छतरपुर	355	350	302	297
		49—टीकमगढ़	355	350	302	297
		50—पन्ना	355	350	302	297

हस्ता./-

(अरूण कुमार भट्ट)
आबकारी आयुक्त,
मध्यप्रदेश.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.